

10वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम



दिशानिर्देश

2017-18



नेहरू युवा केंद्र संगठन

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

का एक स्वायत्त निकाय

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

के सहयोग से

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विवरण	पेज नं.
1.	सामान्य (परिचय एवं समस्या की उत्पत्ति तथा वर्तमान परिस्थितियों में सार्थकता)	3
2.	ध्येय एवं लक्ष्य	4
3.	अवधारणा और कार्यपद्धति	5
4.	मामलों के बारे में विस्तृत आंकड़े	6
5.	प्रतिभागियों एवं एस्कोटर्स के जिलावार विवरण	7
6.	कार्यान्वयन रणनीतियां	8-13
7.	बजट के प्रावधान सहित 10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में शामिल की गई नई गतिविधियां	13
8.	आईईसी रणनीति और प्रशिक्षण	13
9.	सफल कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों द्वारा ध्यान दिए जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु	14-15
10.	भाग लेने वाले केंद्रों / राज्यों के द्वारा प्रतिभागियों का उन्मुखीकरण	16-17
11.	मेज़बान केंद्रों / राज्यों द्वारा प्रतिभागियों की अपेक्षाएं और फीडबैक	17
12.	अपेक्षित परिणाम	18
13.	अनुलग्नक-1 (अनंतिम समय अनुसूची)	19
14.	अनुलग्नक-1 (i) (कार्यान्वयन की योजना का प्रारूप)	20
15.	अनुलग्नक-2 (प्रस्तावित कार्यक्रम सूची)	21
16.	अनुलग्नक-3 (प्रस्तावित दिनचर्या)	22
17.	अनुलग्नक-4 (प्रतिभागियों और एस्कोटर्स का नामांकन फॉर्म)क	23
18.	अनुलग्नक-5 (प्रतिभागियों के लिए क्षतिपूर्ति बांड)	24
19.	अनुलग्नक-6 (प्रतिभागियों की सूची प्रदान करने के लिए प्रारूप)	25
20.	अनुलग्नक-7 (आईडी कार्ड का प्रारूप)	26
21.	अनुलग्नक-8 (ने.यु.कें.सं., सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी एवं आईटीबीपी के नोडल अधिकारियों का विवरण)	27-34
22.	अनुलग्नक-9 (एजेंसीवार, जिलावार एवं स्थलवार एस्कोटर्स की संख्या का विवरण एवं एस्कोटर्स के लिए बजट)	35-36
23.	अनुलग्नक-10 (सारांश रिपोर्टिंग का प्रारूप और विस्तृत रिपोर्ट जमा करने हेतु बिंदु, भाग ए एवं बी)	37-38
24.	अनुलग्नक-11 सम्मिलित नई गतिविधियों के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप	39
25.	अनुलग्नक-12 (10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों और एस्कोटर्स का स्थलवार और जिलावार वितरण)	40-42
26.	अनुलग्नक-13 (a एवं b) (आगमन और प्रस्थान पर प्रतिभागियों के लिए फीडबैक फॉर्म)	43-46
27.	अनुलग्नक-14 (10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का बजट)	47
28.	अनुलग्नक-14 (i एवं ii) जिला और स्थलवार जारी निधि का विवरण	48-50
29.	अनुलग्नक-15 कवर और बैक पेज के साथ विस्तृत रिपोर्ट का प्रारूप	51-54

सामान्य

(परिचय एवं समस्या की उत्पत्ति तथा वर्तमान परिस्थितियों में सार्थकता)

जनजातियां, लोगों का एक ऐसा समूह है, जिनकी भाषा, संस्कृति, जीवनशैली और सामाजिक-आर्थिक स्थिति भिन्न-भिन्न होती हैं तथा ये सभी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करते हैं। साधारणतः, ये जनजातियां जंगलों के भीतर, दूरस्थ एवं दुर्लभ क्षेत्रों अथवा जंगलों की बाह्य सीमाओं तथा पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। संविधान के अनुच्छेद 180 के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों में वे जनजातियां या आदिवासी समुदाय अथवा इन जनजातियां और आदिवासी समुदाय के भीतर के समूहों के भाग आते हैं, जिनकी राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से घोषणा की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजाति देश की कुल आबादी के 8.6 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करती है, जोकि देश की 10.42 मिलियन जनसंख्या है। इन सभी जनजातियों को इनकी विविध संस्कृतियों, विस्तृत रूप से फैले हुए दूसरे समुदायों के साथ होने वाले संपर्कों से सुदूर रहने तथा उनके आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

आजादी के तुरंत बाद, सरकार ने राष्ट्रीय और राज्य दोनों ही स्तरों पर जनजातियों के विकास और कल्याण को बहुत महत्व दिया है तथा जिसके परिणामस्वरूप देशभर में जनजातियों के रहन-सहन की स्थितियों में काफी सुधार आया है। किंतु खर्च की गई राशि और लिए गए समय के बावजूद भी प्राप्त की गई उपलब्धियां अपेक्षानुसार नहीं है। अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी और इससे संबंधित कारकों ने जनजातियों को मुख्यधारा से पृथक करने पर जोर दिया है। जनजातियों के बीच विघटनकारी ताकतों द्वारा फैलाई जा रही झूठी खबरों की मुहिमों ने स्थिति को बहुत अधिक खराब किया है।

देश के दूरस्थ प्रांतों में रहने वाली जनजातियों को देश के किसी दूसरे स्थान पर क्या हो रहा है इसके बारे में भी प्राथमिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। यदि छात्र और युवा समुदायों को देश के दूसरे भागों में रहने वाले अपने सहकर्मी समूहों के साथ बातचीत करने के लिए पर्याप्त जानकारी और अवसर मिलते रहते हैं, तो उनके मध्य व्याप्त अतिवादी गतिविधियों को कम किया जा सकता है। इस संदर्भ में यह प्रस्तावित किया जाता है कि आदिवासी युवाओं को सकारात्मक रूप से सम्मिलित और शिक्षित किया जाना चाहिए और इसके लिए आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम बहुत ही मददगार साबित होंगे।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रोत्साहन के साथ नेहरू युवा केंद्र संगठन आदिवासी युवाओं के विकास के लिए आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन करता है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से नेहरू युवा केंद्र संगठन ने वर्ष 2006 से अब तक नौ आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है।

दिनांक 16.06.2017 को संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता की बैठक में फैसला लिया गया कि भारत के छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एवं बिहार राज्यों के बुरी तरह से प्रभावित 29 एलडब्ल्यूई जिलों के 2000 चयनित आदिवासी युवा, 10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2017-18 के 10 कार्यक्रम स्थलों में अर्थात् हैदराबाद, जयपुर, दिल्ली, बेंगलुरु, सूरत, मुंबई, चेन्नई, जम्मू, लखनऊ एवं पंचकुला में भाग लेंगे।

ध्येय एवं लक्ष्य

- 07 राज्यों के 29 चयनित जिलों के आदिवासी युवाओं को देश के 10 विभिन्न स्थानों पर जाने के अवसर प्रदान करना ताकि वे सांस्कृतिक लोकाचार, भाषा, सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास को दर्शाने वाली लोगों की जीवन शैली तथा हमारे राष्ट्रीय जीवन में निहित विविधता में एकता के स्वरूप की विकासात्मक प्रक्रियाओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें।
- आदिवासी युवाओं का विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों, कौशल विकास, शैक्षणिक एवं रोजगार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ उन्हें देश के अलग-अलग राज्यों में हो रही तकनीकी और औद्योगिक उन्नति के विषय में जानकारी देना।
- आदिवासी युवाओं को उनकी समृद्ध पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में संवेदनशील बनाने और इनको भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने में उन्हें सक्षम बनाना।
- आदिवासी युवाओं को देश के दूसरे हिस्से में रहने वाले अपने सहकर्मी समूहों के साथ भावनात्मक संबंध विकसित करने तथा उनके आत्म सम्मान को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करना।
- भारत के माननीय राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं दूसरे वीआईपी व्यक्तियों, स्थानीय समुदायों, पंचायती राज संस्थानों और ने.यु.कै.सं. युवा मंडलों के संबद्ध युवाओं के साथ विचार-विमर्श हेतु प्रतिभागियों को अवसर प्रदान करना ताकि वे विकासात्मक मुद्दों को समझ सकें, और साथ ही विकासात्मक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी हेतु मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें।
- रोजगार कौशल, भारत सरकार और राज्य सरकारों की योजनाओं के माध्यम से आदिवासी युवाओं के व्यक्तित्व के विकास के लिए जीवन के 10 प्रमुख कौशलों को समझने, कौशल विकास उन्मुखीकरण प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने और तर्कसंगत कैरियर महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने में उन्हें बढ़ावा देना तथा आवश्यक मार्गदर्शन एवं कैरियर परामर्श प्रदान करना।
- उद्योग और कौशल विकास कार्यक्रम को अनावरण प्रदान करना, जिसके द्वारा आदिवासी युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रावधान को सुविधाजनक बनाया जा सकता है।
- आदिवासियों से संबंधित केंद्रीय और राज्य सरकार की विकासात्मक योजनाओं पर साहित्य प्रदान करना।

अवधारणा और कार्यप्रद्धति

देश के दूरस्थ प्रांतों में रहने वाली जनजातियों को देश के किसी दूसरे स्थान पर क्या हो रहा है इसके बारे में भी प्राथमिक जानकारी उपलब्ध नहीं हैं। यदि छात्र और युवा समुदायों को देश के दूसरे भागों में रहने वाले अपने सहकर्मी समूहों के साथ बातचीत करने के लिए पर्याप्त जानकारी और अवसर मिलते रहते हैं, तो उनके मध्य व्याप्त अतिवादी गतिविधियों को कम किया जा सकता है। इस संदर्भ में आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम बहुत ही मददगार साबित होंगे।

कार्यप्रद्धति

10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम को 10 स्थानों पर आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित स्थानों में हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), जयपुर (राजस्थान), दिल्ली, बेंगलुरु (कर्नाटक), सूरत (गुजरात), मुंबई (महाराष्ट्र), चेन्नई (तमिलनाडु), म्मू (जम्मू एवं कश्मीर), लखनऊ (उत्तर प्रदेश) और पंचकुला (हरियाणा) शामिल हैं। यह कार्यक्रम ने.यु.के.सं. के संबद्ध राज्य निदेशकों द्वारा ने.यु.के.सं. के संबद्ध जिला युवा समंयकों के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। 29 संकेंद्रित जिलों से चुने गए कुल 2000 आदिवासी युवाओं (प्रत्येक स्थान पर @ 200 युवा) की प्रतिभागिता का प्रस्ताव दिया गया है, जिन्हें गृह मंत्रालय की एसआरई योजना के अंतर्गत शामिल किए गए 106 जिलों की सूची में से समायोजित किया गया है।

प्रतिभागियों के अंतिम समय में कोई शेष न रह जाए कारणों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिभागियों की पर्याप्त संख्या का चयन ने.यु.के.सं. और सीएपीएफ द्वारा किया जाएगा।

हमारा लक्ष्य, 1 अक्टूबर 2017 से प्रारंभ होने वाले कार्यक्रम को प्रत्येक महीने तीन स्थानों पर आयोजित करना है और दिसंबर, 2017 तक सभी 10 स्थानों पर कार्यक्रम को पूरा करना है।

- छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एवं बिहार के राज्यों के चयनित 29 जिलों (गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चयनित) से 02 आधिकारिक एस्कोटर्स (01 पुरुष एवं 01 महिला) सहित 18-22 वर्ष के आयु-वर्ग के औसतन 10-40 आदिवासी युवाओं (प्रति जिले से 50:50 पुरुष: महिला के अनुपात में) को प्रत्येक कार्यक्रम की जगह (स्थल) पर आमंत्रित किया जाएगा। कमजोर आदिवासी समूह के युवाओं को प्राथमिकता देते हुए आदिवासी युवा के चयन में शामिल किया जाएगा।
- पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी प्रतिभागियों की कुल संख्या के अंतर्गत शामिल किया जाएगा तथा आवश्यकता होने पर उन्हें आयु में छूट भी प्रदान की जा सकती है।
- 07 दिनों तक होने वाले आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र स्तरीय संगोष्ठी, पैनल चर्चा, व्याख्यान शृंखला, कौशल विकास, उद्योग भ्रमण, आतिथ्य से संबंधित यात्रा, अस्पताल से संबंधित कौशल प्रशिक्षण, कैरियर मार्गदर्शन (विशेषतः विख्यात गैर-सरकारी संगठनों / सरकारी एजेंसियों द्वारा आदिवासी कलाकृतियों पर स्वयं रोजगार), आतिथ्य और अस्पताल प्रबंधन पर उन्मुखीकरण, देशभक्ति से संबंधित कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा, प्रतिभागी मेजबान राज्यों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों की यात्रा भी करेंगे। गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों के साथ होने वाले संवादात्मक सत्र इस कार्यक्रम की शोभा को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। **अनुलग्नक-1** में अनंतिम समय अनुसूची दी गई है और **अनुलग्नक -1(i)** में कार्यान्वयन की योजना का प्रारूप दिया गया है। **अनुलग्नक-2** में प्रस्तावित कार्यक्रम सूची दी गई है तथा **अनुलग्नक-3** में 10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम हेतु प्रस्तावित दिनचर्या दी गई है।

मामलों के बारे में विस्तृत आंकड़े

2011 की जनगणना के अनुसार देश की आदिवासी जनसंख्या 10.43 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 8.6% है, जिनमें से 89.97% ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 10.03% शहरी क्षेत्रों में रहती है। 2001 से 2011 तक की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की एक दशक की जनसंख्या वृद्धि, संपूर्ण जनसंख्या की वृद्धि जोकि 17.6 9% थी, उसके मुकाबले में 23.66% आकलित की गई है।

वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में जनजातियों की जनसंख्या का एक विशाल प्रतिशत निवास करता है। वामपंथी अतिवाद की हिंसा (2010-15 के दौरान) के राज्यवार क्षेत्रों पर नज़र डालने पर गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2010 के दौरान 2513 घटनाएं हुईं, जिसमें 1005 मौतें दर्ज की गई थीं। 2011 में, 1760 घटनाएं हुईं, जिनमें 611 मौतें दर्ज की गई थीं। 2012 में, 1415 घटनाएं हुईं, जिनमें 415 मौतें दर्ज की गई थीं। 2013 के दौरान, 1136 घटनाएं हुईं, जिसमें 397 मौतें दर्ज की गई थीं। 2014 में, 1091 घटनाएं हुईं, जिनमें 309 मौतें दर्ज की गई थीं। जबकि वर्ष 2015 के दौरान (15.04.15 तक), 79 मौतों सहित 357 घटनाएं दर्ज की गईं।

उपर्युक्त विश्लेषण इन तथ्यों को सही ठहराते हैं कि वामपंथी अतिवाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। समस्या का भौतिक एवं जनसांख्यिकीय फैलाव और भ्रांतिमुक्ति की प्रकृति एवं दशा, एक अविश्वसनीय वास्तविकता को दर्शाती है, जिसके लिए सरकारी तंत्र के प्रत्येक अंग का ईमानदार, एकीकृत और केंद्रित होना अत्यावश्यक है, ताकि कट्टरपंथी सीमांत माओवादी घटकों को प्रभावहीन किया जा सके और साथ ही इन क्षेत्रों में समावेशी विकास भी लाया जा सके।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एसआरई (सुरक्षा संबंधित व्यय) के अंतर्गत वामपंथी अतिवाद प्रभावित राज्यों के मुद्दों का समाधान करने के लिए 10 राज्यों के 106 जिलों को शामिल किया गया है अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम हेतु छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एवं बिहार राज्यों के 29 वामपंथी अतिवाद प्रभावित जिलों (9वें टीवाईईपी के अनुसार 28 जिले + महाराष्ट्र में गोंदिया जिला) से 2000 प्रतिभागियों (पुरुष एवं महिला) का चयन करने का निर्णय लिया गया है।

प्रत्येक स्तर पर लाभार्थी तथा उनकी सहभागिता

जैसा कि 16 जून 2017 को, संयुक्त सचिव (एलडब्ल्यूई), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता वाली बैठक में निर्णय लिया गया था कि 10वें टीवाईईपी के लिए प्रतिभागियों का चुनाव प्रतिभागी राज्य अर्थात् छत्तीसगढ़ झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और बिहार के अदिवासी प्रदेशों के आंतरिक क्षेत्रों से किया जाना जारी रखा जाएगा। कमजोर आदिवासी समूह के युवाओं को प्राथमिकता देते हुए आदिवासी युवा के चयन में शामिल किया जाएगा।

तदनुसार, 10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के दस स्थलों पर भाग लेने के लिए नीचे उल्लिखित आदिवासी युवा प्रतिभागियों के समूह को निम्नलिखित 29 जिलों से चुना जाएगा।

क्र.सं.	राज्यों का नाम	जिलों का नाम	प्रत्येक जिलों से प्रतिभागियों की संख्या	चयन एजेंसी	एजेंसीवार एस्कॉर्ट्स की संख्या
1	छत्तीसगढ़	बस्तर	50	30- सीआरपीएफ, 20- ने.यु.कें.सं.	3- सीआरपीएफ, 2- ने.यु.कें.सं.
2		बिजापुर	50	30- सीआरपीएफ, 20- ने.यु.कें.सं.	3- सीआरपीएफ, 2- ने.यु.कें.सं.
3		दंतेवाड़ा	50	30- सीआरपीएफ, 20- ने.यु.कें.सं.	3- सीआरपीएफ, 2- ने.यु.कें.सं.
4		कांकेर	100	बीएसएफ	बीएसएफ-10
5		नारायणपुर	100	60- आईटीबीपी, 40- ने.यु.कें.सं.	6- आईटीबीपी, 4- ने.यु.कें.सं.
6		सुकमा	100	60- सीआरपीएफ, 40- ने.यु.कें.सं.	6- सीआरपीएफ, 4- ने.यु.कें.सं.
7		कोंडागांव	60	30- सीआरपीएफ, 30- ने.यु.कें.सं.	3- सीआरपीएफ, 3- ने.यु.कें.सं.
8		राजनंदनगांव	110	आईटीबीपी- 50, ने.यु.कें.सं.-60	आईटीबीपी- 5, ने.यु.कें.सं.-6
9	झारखंड	छतरा	70	सीआरपीएफ	सीआरपीएफ-7
10		गढ़वा	70	सीआरपीएफ	सीआरपीएफ-7
11		गिरिडीह	70	सीआरपीएफ	सीआरपीएफ-7
12		गुमला	70	सीआरपीएफ	सीआरपीएफ-7
13		लातेहार	70	सीआरपीएफ	सीआरपीएफ-7
14		पलामू	70	सीआरपीएफ	सीआरपीएफ-7
15		लोहरदगा	70	सीआरपीएफ	सीआरपीएफ-7
16		सिमडेगा	60	सीआरपीएफ	सीआरपीएफ-6
17		पश्चिमी सिंहभूम	60	सीआरपीएफ	सीआरपीएफ-6
18		खूंटी	60	सीआरपीएफ	सीआरपीएफ-6
19		रांची	60	एसएसबी	एसएसबी-6
20	दुमका	60	एसएसबी	एसएसबी-6	
21	ओडिसा	कोरापुट	60	बीएसएफ	बीएसएफ-6
22		मल्कानगिरी	80	बीएसएफ	बीएसएफ-8
23		नुआपड़ा	80	सीआरपीएफ-50, ने.यु.कें.सं.-30	सीआरपीएफ-5, ने.यु.कें.सं.-3
24	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम (ग्रामीण)	70	सीआरपीएफ-40, ने.यु.कें.सं.-30	सीआरपीएफ-4, ने.यु.कें.सं.-3
25	तेलंगाना	खम्मम	70	सीआरपीएफ-40, ने.यु.कें.सं.-30	सीआरपीएफ-4, ने.यु.कें.सं.-3
26	महाराष्ट्र	गढ़चिरोली	70	सीआरपीएफ	सीआरपीएफ-7
27		गोंदिया	70	ने.यु.कें.सं.	ने.यु.कें.सं.-7
28	बिहार	जमुई	50	एसएसबी	एसएसबी-5
29		गया	40	एसएसबी-20, ने.यु.कें.सं.-20	एसएसबी-2, ने.यु.कें.सं.-2
		कुल	2000		200

कुल प्रतिभागी- सीआरपीएफ-1050, ने.यु.कें.सं.-410, बीएसएफ-240, आईटीबीपी-110, एसएसबी-190= कुल योग= 2000 आदिवासी युवा

कार्यान्वयन रणनीतियां

कार्यक्रम स्थलों का चयन: जैसा कि 16 जून 2017 को, संयुक्त सचिव (एलडब्ल्यूई), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता वाली बैठक में निर्णय लिया गया था की 10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन दस स्थलों पर किया जाएगा। इन स्थलों में, अर्थात् हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), जयपुर (राजस्थान), दिल्ली, बेंगलुरु (कर्नाटक), सूरत (गुजरात), मुंबई (महाराष्ट्र), चेन्नई (तमिलनाडु), जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर), लखनऊ (उत्तर प्रदेश) और पंचकुला (हरियाणा) को शामिल किया गया है। कार्यक्रम को संबद्ध राज्य निदेशकों, ने.यु.कें.सं. के द्वारा ने.यु.कें. के संबद्ध जिला युवा समन्वयको के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। 10वें टीवाईईपी में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए 29 वामपंथी अतिवाद प्रभावित जिलों से कुल 2000 आदिवासी युवाओं (प्रत्येक स्थल पर @ 200 युवा) की भागीदारी होगी।

जिलों का चयन जिनमें से प्रतिभागियों को चयनित किया जाएगा: छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार राज्यों के चयनित 29 जिलों (गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चयनित) से 02 आधिकारिक एस्कोटर्स (01 पुरुष एवं 01 महिला) सहित 18 से 22 वर्ष के आयु वर्ग के औसतन 10-40 आदिवासी युवा (प्रति जिले से 50:50 पुरुष: महिला के अनुपात में) को प्रत्येक कार्यक्रम की जगहों (स्थलों) पर आमंत्रित किया जाएगा।

आदिवासी युवा का एजेंसी वार चयन

वामपंथी अतिवाद प्रभावित जिलों के आंतरिक और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली सबसे प्राचीन आदिवासियों को प्राथमिकता देते हुए, इन प्रतिभागियों का चयन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ अर्थात् बीएसएफ एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ) और ने.यु.कें.सं. से किया जाना चाहिए।

- **बीएसएफ:-** बीएसएफ द्वारा छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के आंतरिक क्षेत्रों से 100 आदिवासी युवा प्रतिभागियों तथा कोरापुट और मल्कानगिरी जिलों के 140 आदिवासी युवा (कोरापुट से 60 और मल्कानगिरी जिले से 80 आदिवासी युवा) प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। **कुल प्रतिभागियों की संख्या - 240**
- **एसएसबी:-** एसएसबी द्वारा झारखंड के रांची एवं दुमका जिलों से प्रत्येक जिले के 60 आदिवासी युवा प्रतिभागियों और जमुई जिले से 50 आदिवासी युवा प्रतिभागियों तथा बिहार राज्य के गया जिले के 20 आदिवासी युवा प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। **कुल प्रतिभागियों की संख्या - 190**
- **आईटीबीपी:-** आईटीबीपी द्वारा नारायणपुर से 60 आदिवासी युवा प्रतिभागियों को तथा छत्तीसगढ़ के राजनंदनगांव जिले से 50 आदिवासी युवा प्रतिभागियों को चयनित किया जाएगा। **कुल प्रतिभागियों की संख्या - 110**
- **सीआरपीएफ:-** सीआरपीएफ द्वारा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों (बस्तर, बिहारपुर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव) के प्रत्येक जिले से 30 आदिवासी युवा प्रतिभागियों एवं छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से 60 आदिवासी युवा प्रतिभागियों और झारखंड के 7 जिलों (चतरा, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, लातेहार, पलामू और लोहरदगा) के प्रत्येक जिले से 70 आदिवासी युवा प्रतिभागियों और झारखंड के 3 जिलों (सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी) के प्रत्येक जिले से 60 आदिवासी युवा प्रतिभागियों, उड़ीसा के नुआपड़ा जिले से 50 प्रतिभागियों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम (ग्रामीण) जिले से 40 प्रतिभागियों, तेलंगाना के खम्मम जिले से 40 प्रतिभागियों और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से 70 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। **कुल प्रतिभागियों की संख्या - 1050**

- **ने.यु.कें.सं.:-** बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा से 20 आदिवासी युवा प्रतिभागियों, छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले से 30 आदिवासी युवा, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और सुकमा जिले से 40 प्रतिभागियों और छत्तीसगढ़ के राजनंदनगांव जिले से 60 प्रतिभागियों, उड़ीसा के नुआपड़ा जिले से 30 प्रतिभागियों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम (ग्रामीण) जिले से 30 प्रतिभागियों, तेलंगाना के खम्मम जिले से 30 प्रतिभागियों, महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से 70 प्रतिभागियों और बिहार के गया जिले से 20 प्रतिभागियों को ने.यु.कें.सं. द्वारा चुना जाएगा। **कुल प्रतिभागियों की संख्या - 410**
- **इसका ध्यान रखा जाएगा** कि पूर्व में आयोजित हुए आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम (टीवाईईपी) में भाग लेने वाले व्यक्तियों को इसमें भाग लेने की अनुमति न दी जाए। हमारी अवधारणा, वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों के सबसे आंतरिक भागों से आदिवासी युवा की भागीदारी को सुनिश्चित करना है।
- हालांकि, कार्यक्रमों के अंतर्गत आंतरिक क्षेत्रों के आदिवासियों को प्राथमिकता प्रदान की जानी है, इसके साथ ही कुछ गैर-आदिवासियों को न केवल समूह के भीतर बल्कि बाहरी लोगों के साथ भी बेहतर संचार और विचारों के आदान प्रदान के उद्देश्य हेतु प्रतिभागियों के रूप में शामिल किया जा सकता है।
- प्रतिभागियों का चयन करते समय सीएपीएफ कार्मिक के साथ ने.यु.कें.सं. के एक सदस्य भी साथ होंगे।
- बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआरपीएफ द्वारा चुने गए आवेदन फॉर्म और क्षतिपूर्ति बॉन्ड सहित प्रतिभागियों की जिलावार सूची संबंधित जिला युवा समन्वयक और राज्य स्तर पर संबंधित राज्य निदेशक को भेजी जानी चाहिए। प्रतिभागियों और एस्कोटर्स के लिए नामांकन फॉर्म **अनुलग्नक-4** में दिया गया है।
- कार्यक्रम में भाग लेने से पहले सभी प्रतिभागियों को क्षतिपूर्ति बॉन्ड भरना आवश्यक होगा (**अनुलग्नक-5**)
- कार्यक्रम में भाग लेने से पहले सभी प्रतिभागियों को चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा
- चयनित प्रतिभागी की सूची **अनुलग्नक-6** के अनुरूप होगी।
- कार्यक्रम हेतु अपनी यात्रा की शुरुआत करने से पूर्व सभी प्रतिभागियों को संबद्ध जि.यु.सं. द्वारा उपयुक्त आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे। आईडी कार्ड का नमूना प्रारूप **अनुलग्नक-7** में दिया गया है
- इस उद्देश्य के लिए ने.यु.कें.सं. के जिला युवा समन्वयकों और सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और बीएसएफ के राज्य नोडल अधिकारी के संपर्क विवरण **अनुलग्नक-8** में संलग्न किए गए हैं।
- सभी प्रतिभागियों को अपने साथ पासपोर्ट आकार की फोटो लेकर आना होगी। उन्हें अपनी वर्तमान अकादमिक योग्यता और उनके द्वारा अधिग्रहण किए गए व्यावसायिक कौशल या पारंपरिक रूप प्राप्त किए गए कौशल तथा यदि संभव हों, तो पारिवारिक आय के प्रमाणों को भी अपने साथ लाना चाहिए।
- नई गतिविधियों के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप **अनुलग्नक-11** में दिया गया है।
- ने.यु.कें.सं., बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआरपीएफ के प्रतिभागियों की संख्या के विवरणों को राज्यवार, जिलावार और स्थलवार रूप में सारणीबद्ध किया गया है (**अनुलग्नक-12**)
- इसके अलावा, 10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रदर्शन हेतु सभी चयनित आदिवासी युवा को, उनके पारंपरिक वस्त्रों और परिधानों का एक सेट अपने साथ रखना चाहिए। हालांकि, इस बात को ध्यान में रखा जा सकता है कि सांस्कृतिक प्रदर्शन, आदिवासी युवाओं के चयन के लिए कोई मानदंड नहीं हैं और पिछले पेजों पर उल्लिखित अनुसार 10वें टीवाईईपी के लिए प्रतिभागियों के रूप में पीआरआई सदस्यों की पर्याप्त संख्या को शामिल किया जाना चाहिए।
- छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एवं बिहार के चयनित जिलों के ने.यु.कें.सं. के संबद्ध जिला युवा समन्वयकों द्वारा शीघ्र ही आदिवासी युवाओं का चयन शुरू कर दिया जाएगा, जिसे राज्य के विशिष्ट राज्य

निदेशक द्वारा संगृहित किया जाएगा तथा तदनुसार, गृह मंत्रालय को अग्रेषित करने के लिए प्रतिभागियों की अग्रिम सूची राज्य निदेशक के साथ-साथ ने.यु.कें.सं. के मुख्यलयों को ईमेल द्वारा भेजी जानी चाहिए।

प्रतिभागियों के लिए एस्कोर्ट्स का चयन

- कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए यह प्रस्तावित किया जाता है कि सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ने.यु.कें.सं. और बीएसएफ कार्यक्रम की संपूर्ण अवधि में अनिवार्य कार्यों के निष्पादन के लिए एक जिले से लगभग 20 आदिवासी युवा के दल के प्रत्येक बैच के लिए 02 आधिकारिक एस्कोर्ट्स (एक पुरुष और एक महिला) की तैनाती करेंगे। पेज नं. 7 के अनुसार 29 जिलों के लिए एस्कोर्ट्स की कुल संख्या 200 है। **अनुलग्नक-9** में 200 एस्कोर्ट्स के लिए प्रति एस्कोर्ट बजट विवरण तथा कुल बजट विवरण को संलग्न किया गया है।

प्रतिभागियों के आईडी कार्ड और बीमा

सभी प्रतिभागियों को उस दौरान जिसमें वे सभी यात्रा करने के साथ ही कार्यक्रम में भाग ले रहे होंगे, उस आवधिक समय के लिए संबद्ध जिला युवा समन्वयकों द्वारा उन सभी प्रतिभागियों का सरकारी बीमा एजेंसी से बीमा करवाया जाएगा।

टी-शर्ट एवं ट्राउजर्स

कार्यक्रम स्थल के संबद्ध राज्य निदेशक / जि.यु.सं., प्रतिभागियों के लिए ट्रैक सूट की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे।

कार्यक्रम स्थल और तिथियां:

10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के आयोजन के लिए संबंधित राज्यों के राज्य निदेशक, ने.यु.कें.सं. के मुख्यालयों से दिशानिर्देश प्राप्त करने के तुरंत बाद कार्यक्रम की तिथि, अवधि और स्थलों को अंतिम रूप प्रदान करेंगे। हमारा लक्ष्य 1 अक्टूबर 2017 से शुरू होने वाले कार्यक्रमों को प्रत्येक माह तीन/चार स्थलों पर आयोजित करना है। प्रत्येक स्थल 200 प्रतिभागियों की मेजबानी करेगा।

प्रतिभागियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं:

प्रत्येक स्थल पर प्रतिभागियों की चिकित्सा संबंधी समस्याओं का ध्यान रखने के लिए संबद्ध राज्य निदेशक / जि.यु.सं. द्वारा एक चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

हितधारकों की भूमिका:- इस कार्यक्रम के लिए हितधारकों की प्रस्तावित भूमिकाएं और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:-

- सीआरपीएफ:-** सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ के पांच जिलों (कुल 180) के प्रत्येक जिले से औसतन 30-60 प्रतिभागियों और झारखंड के 10 जिलों (कुल 670) के प्रत्येक जिले से 60-70 प्रतिभागियों और उड़ीसा (कुल 50) के नुआपड़ा जिले से 50 प्रतिभागियों, आंध्र प्रदेश (कुल 40) के विशाखापट्टनम (ग्रामीण) जिले से 40 प्रतिभागियों, तेलंगाना (कुल 40) के खम्मम जिले से 40 प्रतिभागियों और महाराष्ट्र (कुल 70) के गढ़चिरोली

जिले से 70 प्रतिभागियों को संगठित और चयनित करेगा। सीआरपीएफ द्वारा चुने जाने वाले कुल प्रतिभागियों की कुल संख्या 1050 है। सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ के 6 जिलों, झारखंड के 10 जिलों, उड़ीसा के नुआपड़ा जिले, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम (ग्रामीण) जिले, तेलंगाना के खम्मम जिले और महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले के चयनित उम्मीदवारों के द्वारा जमा किए हुए क्षतिपूर्ति बॉन्ड सहित उनके भरे हुए आवेदनों की सूची को ने.यु.कें.सं. के जिला युवा समन्वयकों के साथ साझा करेंगे। 10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में भाग लेने वाले चयनित प्रतिभागियों को सीआरपीएफ द्वारा ने.यु.कें.सं. जिलों के जिला युवा समन्वयकों को सौंप दिया जाएगा। सीआरपीएफ द्वारा चयनित प्रतिभागियों की सूची ने.यु.कें.सं. के संबद्ध राज्य निदेशकों की घोषणाओं के अंतर्गत 15.09.2017 तक ने.यु.कें.सं. के संबद्ध जिला युवा समन्वयकों को प्रदान की जानी चाहिए। ने.यु.कें.सं. के अधिकारियों की सूची अनुलग्नक-8 में दी गई है।

कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन और प्रतिभागियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीएफ प्रत्येक प्रतिभागी जिलों के लिए 20 प्रतिभागियों के बैच के सहयोग में 2 एस्कोर्ट्स (1 पुरुष एवं 1 महिला) का चयन और नियुक्ति करेगा, जो प्रतिभागियों को प्रस्थान के समय से लेकर कार्यक्रम के स्थान से उनके गृह जिलों तक वापसी में एस्कोर्ट सुविधा प्रदान करेंगे। सीआरपीएफ द्वारा चुने जाने वाले कुल एस्कोर्ट्स की संख्या 111 है।

- **बीएसएफ:-** बीएसएफ, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के आंतरिक क्षेत्रों से 100 प्रतिभागियों और कोरापुट एवं उड़ीसा के मल्कानगिरी जिलों से 140 आदिवासी युवा प्रतिभागियों (कोरापुट जिले से 60 और मल्कानगिरी जिले से 80 आदिवासी युवा) को संगठित और चयनित करेगा। बीएसएफ कुल 240 प्रतिभागियों का चयन करेगा। बीएसएफ, कांकेर जिले के ने.यु.कें. के जिला युवा समन्वयकों के साथ चयनित प्रतियोगियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए क्षतिपूर्ति बॉन्ड सहित उनके भरे हुए आवेदनों को साझा करेगा। 10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बीएसएफ चयनित प्रतिभागियों को कांकेर (छत्तीसगढ़) और कोरापुट एवं मल्कानगिरी (उड़ीसा) जिलों के ने.यु.के. के जिला युवा समन्वयक को सौंप देगा। बीएसएफ द्वारा चयनित उम्मीदवारों की सूची, ने.यु.कें.सं. के संबद्ध राज्य निदेशकों की घोषणाओं के अंतर्गत, 15.09.2017 तक ने.यु.कें.सं. के संबद्ध जिला युवा समन्वयकों को प्रदान की जानी चाहिए। ने.यु.कें.सं. के अधिकारियों की सूची अनुलग्नक-8 में दी गई है।

कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन और प्रतिभागियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह प्रस्तावित किया जाता है कि बीएसएफ, प्रत्येक भाग लेने वाले जिलों के समर्थन में 20 प्रतिभागियों के एक बैच हेतु, 2 एस्कोर्ट्स (1 पुरुष और 1 महिला) का चयन और नियुक्ति करेगा, ताकि प्रतिभागियों को उनको प्रस्थान के समय से लेकर कार्यक्रम स्थल से पुनः गृह जिले में वापसी के दौरान एस्कोर्ट की सुविधा प्रदान की जा सके। बीएसएफ द्वारा चुने जाने वाले कुल एस्कोर्ट की संख्या 24 है।

- **एसएसबी:-** एसएसबी द्वारा प्रतियोगियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए क्षतिपूर्ति बॉन्ड सहित उनके भरे हुए आवेदनों के साथ, झारखंड के दुमका और रांची जिलों के प्रत्येक जिले से 60 प्रतिभागियों, जमुई जिले से 50 आदिवासी युवा प्रतिभागियों और बिहार राज्य के गया जिले से 20 आदिवासी युवा प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। एसएसबी द्वारा कुल 190 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। एसएसबी, 10वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चयनित प्रतिभागियों को रांची एवं दुमका (झारखंड) और जमुई एवं गया (बिहार) के ने.यु.के. के जिला युवा समन्वयक को सौंप देगा। एसएसबी द्वारा, चयनित उम्मीदवारों की सूची, ने.यु.कें.सं. के संबद्ध राज्य निदेशकों की घोषणाओं के अंतर्गत, 15.09.2017 तक ने.यु.कें.सं. के संबद्ध जिला युवा समन्वयकों को प्रदान की जानी चाहिए। ने.यु.कें.सं. के अधिकारियों की सूची अनुलग्नक-8 में दी गई है।

कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन और प्रतिभागियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह प्रस्तावित किया जाता है कि एसएसबी, प्रत्येक प्रतिभागी जिलों के लिए 20 प्रतिभागियों के एक बैच के सहयोग में 2 एस्कोर्ट्स (1 पुरुष और 1 महिला) का चयन और नियुक्ति करेगा, ताकि प्रतिभागियों को प्रस्थान के समय से लेकर कार्यक्रम स्थल से पुनः गृह जिले में वापसी के दौरान एस्कोर्ट की सुविधा प्रदान की जा सके। एसएसबी द्वारा चुने जाने वाले कुल एस्कोर्ट्स की संख्या 19 है।

- **आईटीबीपी:-** आईटीबीपी, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से 60 आदिवासी युवा प्रतिभागियों और राजनंदनगांव जिले से 50 आदिवासी युवा प्रतिभागियों को संगठित और चयनित करेगा (कुल प्रतिभागियों की संख्या 110 है) तथा राजनंदनगांव जिले के ने.यु.के. के जिला युवा समन्वयकों के साथ चयनित प्रतियोगियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए क्षतिपूर्ति बॉन्ड सहित उनके भरे हुए आवेदनों को साझा करेगा। आईटीबीपी, 10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चयनित प्रतिभागियों को राजनंदनगांव (छत्तीसगढ़) के ने.यु.के. के जिला युवा समन्वयक को सौंप देगा। आईटीबीपी द्वारा, चयनित उम्मीदवारों की सूची, ने.यु.के.सं. के संबद्ध राज्य निदेशकों की घोषणाओं के अंतर्गत, 15.09.2017 तक ने.यु.के.सं. के संबद्ध जिला युवा समन्वयकों को प्रदान की जानी चाहिए। ने.यु.के.सं. के अधिकारियों की सूची **अनुलग्नक-8** में दी गई है।

कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन और प्रतिभागियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह प्रस्तावित किया जाता है कि आईटीबीपी, प्रत्येक प्रतिभागी जिलों के लिए 20 प्रतिभागियों के एक बैच के सहयोग में 2 एस्कोर्ट्स (1 पुरुष और 1 महिला) का चयन और नियुक्ति करेगा, ताकि प्रतिभागियों को प्रस्थान के समय से लेकर कार्यक्रम स्थल से पुनः गृह जिले में वापसी के दौरान एस्कोर्ट की सुविधा प्रदान की जा सके। आईटीबीपी द्वारा चुने जाने वाले कुल एस्कोर्ट्स की संख्या 11 है।

- **ने.यु.के.सं.:-** ने.यु.के.सं. द्वारा बस्तर, बीजापुर और दंतेवाड़ा से 20 आदिवासी युवा प्रतिभागियों, छत्तीसगढ़ के कोंडगांव जिले से 30 आदिवासी युवा प्रतिभागियों, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और सुकमा जिलों के प्रत्येक जिले से 40 प्रतिभागियों, छत्तीसगढ़ के राजनंदनगांव जिले से 60 प्रतिभागियों, उड़ीसा के नुआपड़ा जिले से 30 प्रतिभागियों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम (ग्रामीण) जिले से 30 प्रतिभागियों, तेलंगाना के खम्मम जिले से 30 प्रतिभागियों, महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से 70 प्रतिभागियों तथा बिहार के गया जिले से 20 प्रतिभागियों को संगठित और चयनित किया जाएगा (कुल प्रतिभागियों की संख्या 410 है)। सभी जिला युवा समन्वयक, चयनित प्रतियोगियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए क्षतिपूर्ति बॉन्ड सहित उनके भरे हुए आवेदनों को भी प्राप्त करेंगे।
- **10वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों के देश भर के विभिन्न स्थलों पर होने वाले प्रस्थान से पूर्व सभी प्रतिभागियों और एस्कोर्ट अधिकारियों को ने.यु.के. के संबद्ध जिला युवा समन्वयक द्वारा कार्यक्रम के बारे में अच्छी तरह समझाया जाएगा तथा उन्हें कार्यक्रम के प्रति उन्मुख किया जाएगा। प्रतिभागियों को उनकी भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों से अवगत किया जाएगा तथा उन्हें एक-दूसरे के परिचय के साथ-साथ एस्कोर्ट्स से भी मिलवाया जाएगा। जि.यु.स., सभी प्रतिभागियों और एस्कोर्ट्स के लिए आई-कार्ड जारी करेंगे तथा उनके बीमा कवर की व्यवस्था भी करेंगे। जि.यु.स., संबद्ध राज्य निदेशक की देखरेख में प्रतिभागियों और एस्कोर्टिंग अधिकारी के लिए आरक्षित टिकटों की बुकिंग तथा उनके यात्रा डीए के भुगतान जैसी यात्रा व्यवस्थाएं भी करेंगे।**

कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन और प्रतिभागियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह प्रस्तावित किया जाता है कि ने.यु.कें.सं., प्रत्येक प्रतिभागी जिलों के लिए 20 प्रतिभागियों के एक बैच के सहयोग में 2 एस्कोर्ट्स (1 पुरुष और 1 महिला) का चयन और नियुक्ति करेगा, ताकि प्रतिभागियों को प्रस्थान के समय से लेकर कार्यक्रम स्थल से पुनः गृह जिले में वापसी के दौरान एस्कोर्ट की सुविधा प्रदान की जा सके। ने.यु.कें.सं. द्वारा चुने जाने वाले कुल एस्कोर्ट्स की संख्या 41 है।

रिपोर्टिंग:- कार्यक्रम के समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर ने.यु.कें.सं. के संबद्ध राज्य निदेशकों / जि.यु.स. को अनुलग्नक सं. 10, 11 एवं 15 के अनुरूप दिए गए रिपोर्टिंग प्रारूप के अनुसार 10वें टीवाईईपी की विस्तृत रिपोर्ट तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र को ने.यु.कें.सं. के मुख्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

बजट के प्रावधान सहित 10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में शामिल की गई नई गतिविधियां:-

- देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण या आतंकवाद बनाम विकास पर भाषण प्रतियोगिता।
- सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिस्पर्धा
- वृक्षारोपण
- स्वच्छता अभियान

सीएपीएफ और स्थानीय प्रशासन के समन्वय में उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित गतिविधियों (प्रस्तावित) को भी आयोजित किया जा सकता है:-

- सीआरपीएफ के साथ समन्वय में महिलाओं के लिए स्व रक्षा कक्षाएं
- महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा पर जागरूकता सत्र
- उद्यमिता विकास कौशल (प्रबंधन गेम)
- युवा संसद आदि

आईटीसी रणनीति और प्रशिक्षण

- सीआरपीएफ / बीएसएफ / एसएसबी / आईटीबीपी और नेयुकेस द्वारा प्रतिभागियों के चयन के बाद, प्रतिभागियों को उनकी जानकारी और ज्ञान के लिए कार्यक्रम और गतिविधियों के विवरण प्रदान किए जाएंगे।
- सीआरपीएफ / बीएसएफ / एसएसबी / आईटीबीपी के साथ संयुक्त सहयोग में नेयुकेस द्वारा प्रतिभागियों के लिए 2 दिन का विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा, इसके बाद नेयुकेस को सौंपने से पूर्व सीआरपीएफ / बीएसएफ / एसएसबी / आईटीबीपी और नेयुकेस द्वारा संयुक्त ब्रीफिंग।
- प्रतिभागियों को कार्यक्रम स्थल पर प्रस्थान करने से पहले एस्कोर्ट्स के साथ संबंधित जि.यु.सं., ने.यु.कें. द्वारा पूरी तरह ब्रीफिंग की जाएगी।

10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों द्वारा ध्यान दिए जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु

- आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम को नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा आयोजित किए जा रहे सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में विकसित किया गया है।
- एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्राथमिकता दिए जाने के संबंध में माननीय मंत्री, एमएचआरडी की अध्यक्षता में मंत्रियों की बैठक के दौरान पीएमओ द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के दृष्टिगत, इस कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जोड़ा गया है, जिनका 10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम को क्रियान्वित करते समय पालन किया जाना जरूरी है।
- उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, 10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम की गतिविधियों के प्रारूप का विस्तार करके, कार्यक्रम के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार और प्रसार करके, बड़ी हस्तियों, प्रमुख खेल व्यक्तित्व और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को इसमें शामिल करके, कार्यक्रम के प्रचार आदि के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कार्यक्रम को बेहतर रूप दिया जा सकता है।
- संबंधित राज्य निदेशकों, नेयुकेसं को अपने संबंधित राज्यों में कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के लिए दूरदर्शन से संपर्क कर सकते हैं।
- कार्यक्रम के व्यापक प्रचार के लिए रोड शो भी आयोजित किए जा सकते हैं।
- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की जोड़ी प्रथम दो वर्षों के लिए यथावत रखी जानी चाहिए जब तक कि कार्यक्रम स्थिर नहीं हो जाए और फिर वार्षिक जोड़ी तैयार की जा सकती है।
- सोशल मीडिया का उपयोग और कुशल निगरानी इस कार्यक्रम के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है।
- कार्यक्रम का केंद्र बिन्दु भाग लेने वाले राज्यों की संस्कृति भाषा शिक्षण, फूड फेस्टिवल, पारंपरिक परिधानों और जीवनशैली संबंधी पहलुओं पर होना चाहिए।
- रैली, सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा, खेल-कूद और क्रीड़ा जैसे बाहरी गतिविधियों का आयोजन
- पारिवारिक व्यवस्था, स्कूल के छात्रों के साथ बातचीत, सामुदायिक रसोई आदि सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- कार्यक्रम को महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर बाहरी गतिविधियों के रूप में आयोजित किया जाना चाहिए और आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।
- प्रतिभागियों के चयन में सावधानी की आवश्यकता है ताकि कोई प्रतिभागी छूट न जाए। यह सुझाव दिया जाता है कि उन प्रतिभागियों को चुना जाना चाहिए, जो कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दृढ़ संकल्पित हों। कुछ शेष रह गए प्रतिभागी लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा भी उत्पन्न करेंगे।

- कमजोर आदिवासी समूहों के युवाओं को प्राथमिकता पर आदिवासी युवाओं के चयन में शामिल करने की आवश्यकता है।
- प्रतिभागियों का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए।
- प्रतिभागियों के चयन की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए।
- प्रतिभागियों की सूची में सांस्कृतिक कलाकार भी शामिल किए जा सकते हैं।
- जिला युवा समन्वयक, नेयुके द्वारा कार्यक्रम में भाग लेने से पहले प्रतिभागियों को कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण प्रदान करना आवश्यक है।
- प्रतिभागियों के यात्रा टिकटों का आरक्षण कम से कम 3 महीने पहले किया जाना चाहिए और एक बार टिकट आरक्षित होने पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी शेष न रह जाए।
- सीएपीएफ द्वारा संयुक्त ब्रीफिंग नेयुकेस को सौंपने से पहले दी जानी चाहिए और प्रतिभागियों की वापसी यात्रा पर सीआरपीएफ / बीएसएफ / एसएसबी / आईटीबीपी प्रतिभागियों का स्वागत करेगी और इस उद्देश्य के लिए आयोजित शिविर में अनुवर्ती उपायों के लिए कार्य योजना तैयार करेगी।
- एस्कोर्ट की तैनाती उचित गंभीरता से की जा सकती है, ताकि कोई छूट न जाए।
- प्रतिभागियों को 10वें टीवाईईपी के दौरान उद्योग और कौशल विकास कार्यक्रम के संपर्क में रखा जाएगा जो उन्हें रोजगार के प्रावधान की सुविधा दे सकते हैं।
- प्रभावशाली स्थल यात्राओं का आयोजन किया जाना चाहिए और आदिवासियों से संबंधित केंद्र और राज्यों की विकास योजनाओं पर आधारित साहित्य भी उन्हें प्रदान किया जा सकता है।
- महिला प्रतिभागियों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
- संबंधित जेडडी, नेयुकेस तथा संसाधन व्यक्तियों के साथ विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।
- जैसा कि 7 मार्च 2017 को माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बीओजी समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि भारत के आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ स्कूल के छात्रों की बातचीत को नियमित सुविधा दी जानी चाहिए और भविष्य के सभी कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। अतः, आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ स्कूल के छात्रों की बातचीत को अब अनिवार्य कर दिया गया है।
- कार्यक्रमों में आमंत्रित वीआईपी / गणमान्य व्यक्तियों की संख्या सीमित रखी जानी चाहिए और उनके भाषणों की संख्या न्यूनतम रखी जा सकती है।
- टीवाईईपी के लिए मुख्यालय से जाने से पहले सभी प्रतिभागियों की स्वास्थ्य स्थिति को सीएपीएफ में उपलब्ध डॉक्टरों द्वारा जांच की आवश्यकता होगी।
- 10वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम की गतिविधियों में जिला प्रशासन भी जुड़े सकते हैं।

भाग लेने वाले केंद्रों / राज्यों के द्वारा

प्रतिभागियों का उन्मुखीकरण

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रतिभागियों के प्रस्थान से पहले भाग लेने वाले नेयुकेस केंद्र / राज्य सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के साथ संयुक्त रूप से ब्रीफिंग सत्र आयोजित करेंगे।

इसी प्रकार, टीवाईईपी से प्रतिभागियों के आगमन पर संयुक्त डी-ब्रीफिंग और फीडबैक सत्र आयोजित किया जाना चाहिए। इस सत्र की गतिविधियों के दौरान और प्रतिभागियों के लिए उनकी कार्यवाही की योजना तैयार की जाएगी और उनका पालन किया जाएगा। **उसी कार्रवाई की योजना की रिपोर्ट नेयुकेस, मुख्यालय को प्रस्तुत की जाएगी।**

मेज़बान नेयुकेस केंद्र / राज्य को दो सत्र आयोजित करने चाहिए जैसे कि प्रतिभागियों की अपेक्षाएं (अनुलग्नक-13a) और प्रतिभागियों से कार्यक्रम (अनुलग्नक-13b) के बारे में फीडबैक।

उपरोक्त के अलावा, कार्यक्रम के दौरान वीडियो पर प्रतिभागियों की लाइव प्रतिक्रिया लेनी चाहिए।

1. कार्यक्रम में भाग लेने से पहले प्रतिभागियों को ब्रीफिंग।

- सीआरपीएफ/बीएसएफ/एसएसबी/आईटीबीपी और नेयुकेस द्वारा प्रतिभागियों के चयन के बाद; प्रतिभागियों को उनकी जानकारी और ज्ञान के लिए कार्यक्रम और गतिविधियों के विवरण प्रदान किए जाएंगे और कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जाएगी।
- जि.यु.सं., नेयुकेस द्वारा कार्यक्रम स्थल पर प्रस्थान की पूर्व संध्या पर प्रतिभागियों को एस्कोटर्स के साथ कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इस सत्र का उद्देश्य प्रतिभागियों को टीवाईईपी कार्यक्रम के प्रयोजन को अवधारणाबद्ध और आंतरिक बनाने के लिए अवसर प्रदान करना होगा।
- भागीदारी करने वाले ने.यु.के.सं. और सीआरपीएफ / आईटीबीपी / बीएसएफ / एसएसबी के संबंधित जि.यु.सं. द्वारा प्रतिभागियों को कार्यक्रम में भाग लेने से पहले कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त विवरण देना आवश्यक है।

2. प्रतिभागियों की गृहनगर वापसी पर उनका उन्मुखीकरण।

- 10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के पूर्ण होने के बाद, नेयुकेस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के संबंधित अधिकारी 10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान के प्रतिभागियों के

साथ कार्यक्रम के आगे की कार्यवाही करने का प्रयास करेंगे। इस उद्देश्य के लिए एक दिवसीय अभिविन्यास सत्र आयोजित किया जाएगा।

- संबंधित अधिकारी प्रतिभागियों को उन्मुख करेंगे और आदिवासी युवाओं के विकास के लिए जिले की बड़ी युवा आबादी को शामिल करके सामाजिक कार्य पहल विकसित करेंगे तथा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर विकास कार्यक्रम के साथ उनको मुख्यधारा में जोड़ेंगे।
- वे 10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के अनुभव साझा करने को भी सुनिश्चित करेंगे।

कार्यक्रम के प्रथम और आखिरी दिन पर

मेज़बान केंद्रों / राज्यों द्वारा प्रतिभागियों की अपेक्षाएं और फीडबैक

- लिखित फीडबैक:-** कार्यक्रम स्थल पर प्रतिभागियों के आगमन पर कार्यक्रम से प्रतिभागियों की अपेक्षाओं के आकलन के लिए प्रश्नावली और कार्यक्रम स्थल से प्रस्थान के दौरान कार्यक्रम के बारे में प्रतिभागियों की फीडबैक अनुलग्नक-13 (a एवं b) में प्रदान किए गए हैं। संबंधित राज्य निदेशक सभी प्रतिभागियों द्वारा भरे फीडबैक (आगमन पर, प्रस्थान पर) दोनों प्राप्त करने के लिए राज्य के एक युवा समन्वयक को समर्पित जिम्मेदारी देगा। प्रत्येक स्थल के कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट के साथ सभी प्रतिभागियों से प्राप्त फीडबैक फॉर्म की संकलित रिपोर्ट और विश्लेषण संलग्न होना चाहिए।
- लाइव वीडियो संवाद / फीडबैक:** - प्रतिभागियों से लाइव फीडबैक प्राप्त करने के लिए; प्रतिभागियों के साथ उनके आगमन पर कार्यक्रम से उनकी अपेक्षाओं और उनके प्रस्थान पर कार्यक्रम के बारे में फीडबैक पर संवादात्मक सत्र सकारात्मक रूप से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। दोनों सत्रों की वीडियोग्राफी अनिवार्य है जिसे विस्तृत रिपोर्ट के साथ नेयुकेसं मुख्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अपेक्षित परिणाम

- 10वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2017-18, नक्सली प्रभावित राज्यों के आदिवासी युवाओं के लिए देश की अन्य भ्रमण करने वाली जगहों की जीवनशैली, सामाजिक और सांस्कृतिक रीतियों को देखने के लिए मौलिक कदम के साथ-साथ एक अच्छी तरह से तैयार किया गया हस्तक्षेप कार्यक्रम होगा।
- कार्यक्रम आदिवासी समुदायों की समृद्ध और पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत के बारे में आदिवासियों को संवेदनशील बनाने में मदद करेंगे और उन्हें भविष्य की पीढ़ी के लिए संरक्षित करने में सक्षम बनाएंगे।
- कार्यक्रम आदिवासी युवाओं को देश के दूसरे हिस्से में अपने सहकर्मी समूहों के साथ भावनात्मक संबंध विकसित करने में भी मदद करेगा।
- कार्यक्रम सामाजिक और सांस्कृतिक अलगाव तोड़ने के लिए विडोज या इंटरफेस प्रदान करेगा और मुख्यधारा के भारत में संबंधों की भावनाओं को जन्म देने में सीधे मदद करेगा।
- कार्यक्रम आदिवासी युवाओं के बीच देश की सांस्कृतिक विविधता, विशिष्टता और अखंडता को प्रदर्शित करने के लिए सद्भावना, शांति, विकास और एकता के संदेश को मन में बिठाने का प्रयास करेगा।
- आदिवासी युवाओं को राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण, कौशल विकास, सांप्रदायिक सद्भाव, भारतीय संविधान, लोकतंत्र, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य, स्वतंत्रता संघर्ष, व्यक्तित्व विकास, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, आपदा तैयारी एवं प्रबंधन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, भाषा शिक्षण तथा महिला सशक्तिकरण आदि के बारे में जानकारी और ज्ञान प्रदान किया जाएगा।
- प्रतिभागी एक दूसरे की पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को साझा करने और सराहना करने में सक्षम होंगे।
- कार्यक्रम प्रतिभागियों को स्थानीय समुदायों, पंचायती राज संस्थानों और नेयुकेसं युवा मंडलों से संबद्ध युवाओं के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करेगा ताकि देश के विभिन्न हिस्सों में समान जीवन की स्थिति में रहने वाले युवाओं से भावनात्मक और सांस्कृतिक संबंध विकसित किए जा सकें तथा प्रतिभागियों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने एवं पारस्परिक लाभ के लिए अपने अनुभव साझा करने हेतु एक मंच प्रदान करेगा।
- प्रतिभागियों को उद्योग और कौशल विकास, महत्वपूर्ण उद्यम, कॉर्पोरेट क्षेत्रों, ऐतिहासिक और पर्यटक महत्व के स्थानों के संपर्क में रखा जाएगा जो उन्हें रोजगार के प्रावधान की सुविधा दे सकते हैं।
- कार्यक्रम आदिवासी युवाओं को उद्यमिता कौशल बढ़ाने, अपने स्वयं के रोजगार तथा आतिथ्य एवं अस्पताल से संबंधित कौशल विकास और प्रबंधन के लिए नवीन व्यावसायिक मॉडल समझने का अवसर भी प्रदान करेगा।
- कार्यक्रम आदिवासी युवाओं को राष्ट्र विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने और उनके सतत् विकास के लिए मुख्यधारा में शामिल होने में मदद करेगा।

10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम
के आयोजन के लिए स्थानवार अनंतिम समय अनुसूची

क्र.सं.	मेजबान राज्य / स्थान का नाम	अनंतिम तिथियां
1	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	अक्टूबर, 2017*
2	सूरत (गुजरात)	अक्टूबर, 2017*
3	जयपुर (राजस्थान)	अक्टूबर, 2017*
4	दिल्ली (दिल्ली)	नवंबर, 2017
5	मुंबई (महाराष्ट्र)	नवंबर, 2017
6	चेन्नई (तमिलनाडु)	नवंबर, 2017
7	जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर)	नवंबर, 2017
8	पंचकुला (हरियाणा)	नवंबर, 2017
9	बैंगलोरू (कर्नाटक)	दिसंबर, 2017
10	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	दिसंबर, 2017

*इस तरह से कि 2 अक्टूबर 2017 शिविर के दिनों के दौरान आना चाहिए।

नेहरू युवा केंद्र संगठन

10वें टीवाईईपी 2017-18, कार्यान्वयन की योजना

(आयोजनकर्ता केंद्र / कार्यालय के राज्य निदेशक द्वारा तैयार किया जाना चाहिए)

राज्य का नाम.....

राज्य निदेशक का नाम (10वें टीवाईईपी के समग्र प्रभारी).....

क्र.सं.	10वें टीवाईईपी के आयोजनकर्ता राज्य एवं केंद्र का नाम	जेडडी की सुविधा के लिए जिम्मेदारी सौंपे गए मेजबान केंद्र / कार्यालय के उप-निदेशक / जि.यु.सं. का नाम और संपर्क विवरण	10वें टीवाईईपी (तिथि से-तिथि तक) की तिथियां, कृपया अनुलग्नक- देखें	10वें टीवाईईपी का स्थान
1.				

तिथि सहित राज्य निदेशक के हस्ताक्षर

10वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम

स्थान:-..... अवधि: तिथि से तक

प्रस्तावित कार्यक्रम सूची

क्र. सं.	कार्यक्रम का विवरण	दिन
01	07 राज्यों के चयनित 29 जिलों में उद्घाटन समारोह के आयोजित करने से पूर्व कार्यक्रम स्थल/स्थान पर प्रतिभागियों का आगमन और पंजीकरण। कार्यक्रम के विषय में प्रतिभागियों को जानकारी देना।	दिन-0
02	हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जानकारी, भारतीय लोकतंत्र को समझना, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय उन्नति, युवाओं के विकास एवं सशक्तिकरण से संबंधित मामलों, लैंगिक मामलों को समझना, महिलाओं के प्रति हिंसा और अत्याचारों को रोकना, महिलाओं का विकास और सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, आतंकवाद के संदर्भ में विभाजनकारी ताकतों द्वारा उत्पन्न धमकियों एवं चुनौतियों को समझना तथा शांति एवं समरसता के प्रचार-प्रसार में युवाओं की भूमिका, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता पर व्याख्यान श्रृंखलाएं, युवा संसद का आयोजन, इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम	दिन-1
03	i. विषय-संबंधी चर्चा / संगोष्ठी के माध्यम से देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण, आदिवासी क्षेत्रों की समस्याओं से संबंधित मामलों, रोजगार सृजन और आदिवासी युवाओं के विकास आदि पर प्रतिभागियों का उन्मुखीकरणी ii. देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण या आतंकवाद बनाम विकास पर भाषण प्रतियोगिता iii. सांस्कृतिक कार्यक्रम	दिन-2
04	कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, युवाओं के लिए विशेष रूप से आतिथ्य और अस्पताल प्रबंधन क्षेत्रों में उपलब्ध विभिन्न कैरियर के अवसरों के संदर्भ में कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श पर पूरे दिन का सत्र। विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम एवं उद्यमिता विकास कौशल (प्रबंधन कौशल गेम) के अंतर्गत प्रतिभागियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन, इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम	दिन-3
05	आतिथ्य उद्योग और अस्पताल प्रबंधन उद्योग और संबंधित उद्योगों के विशेष संदर्भ के साथ उद्योग एवं कौशल विकास कार्यक्रम का प्रदर्शन, इसके बाद आतिथ्य और अस्पताल प्रबंधन पर उन्मुखीकरणी, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम	दिन-4
06	सार्वजनिक गणमान्य व्यक्तियों जैसे कि माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री एवं संबंधित मेजबान राज्यों के क्रीडा/खेल-कूद/अकादमिक/व्यवसायी/शिक्षाविद/सामाजिक कार्य/युवा कार्य में प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ संभावित परस्पर संवादात्मक बैठक, इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्कूल विद्यार्थियों से आदिवासी युवाओं की बातचीत	दिन-5
07	i. सीएपीएफ कैंपस की क्षेत्र यात्रा ii. सीएपीएफ द्वारा महिलाओं के लिए स्व रक्षा कक्षाएं, और महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा पर जागरूकता सत्र iii. अनुभव साझा करना, समूह चर्चाएं, कार्यक्रम मूल्यांकन / प्रतिभागियों का फीडबैक, अनुवर्ती कार्रवाई योजना का अंतिम रूप, इसके बाद iv. सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता	दिन-6
08	प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुतिकरण, अंतिम अभिवाचन, समापन टिप्पणियां और आगे बढ़ने के लिए क्रियान्वयन योजना का विकास, समारोह का समापन और प्रतिभागियों का प्रस्थान।	दिन-7

नोट:- यह प्रस्तावित कार्यक्रम अनुसूची है। यह सलाह दी जाती है कि पाठ्यक्रम / अनुसूची में देश के विकास के लिए आदिवासी युवाओं को जागृत करने के प्रयास हेतु सूचना, ज्ञान, कौशल विकास, उद्यमिता और वर्तमान मुद्दों का एक संतुलित मिश्रण होना चाहिए। स्थानीय मुद्दों पर दिमाग को झकझोड़ने वाले कुछ सत्रों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। पेज नं. 13 में प्रस्तावित नई गतिविधियां, कार्यक्रम की अनुसूची में उचित स्थान पर शामिल की जानी चाहिए।

नेहरू युवा केंद्र संगठन

10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम (2018-19) के प्रतिभागियों की प्रस्तावित दिनचर्या

समय	कार्यक्रम/गतिविधी
प्रातः 05.00 बजे - 05.30 बजे	प्रातःकाल उठना
प्रातः 05.30 AM -06.00 बजे	स्नान
प्रातः 06.00 बजे -06.30 बजे	सभी धर्म प्रार्थना, भक्ति गीत और सामुदायिक गायन
प्रातः 06.30 बजे -07.30 बजे	योग/व्यायाम, परंपरागत/लोकप्रिय खेल
प्रातः 07.30 बजे -8.00 बजे	सामुदायिक कार्य/श्रमदान, कैंपस की सफाई (स्वच्छता अभियान)/वृक्षारोपण
प्रातः 08.00 बजे -08.30 बजे	व्यक्तिगत समय
प्रातः 08.30 बजे -09.30 बजे	सुबह का नाश्ता
प्रातः 10.00 बजे -11.30 बजे	कार्य सत्र
प्रातः 11.30 बजे -11.45 बजे	चाय
प्रातः 11.45 बजे - दोप. 13.00 बजे	कार्य सत्र
दोप.13.00 बजे - दोप.14.30 बजे	दोपहर का भोजन
दोप.15.00 बजे - सायं 17.30 बजे	कार्य/संवादात्मक/गतिविधि सत्र
सायं 17.30 बजे - सायं 17.45 बजे	चाय
सायं 17.45 बजे - सायं 18.30 बजे	व्यक्तिगत समय
सायं 19.00 बजे - रात्रि 21.30 बजे	सांस्कृतिक कार्यक्रम
रात्रि 21.30 बजे - रात्रि 22.30 बजे	रात्रि भोजन

नेहरू युवा केंद्र संगठन
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार
का एक स्वायत्त निकाय

10वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम

समर्थनकर्ता: गृह मंत्रालय, भारत सरकार

आवेदन फॉर्म

प्रतिभागी की विधिवत
हस्ताक्षरित पासपोर्ट
आकार की फोटो
चिपकाने के लिए स्थान

नाम:-.....

पिता / जीवनसाथी का नाम:-.....

जन्मतिथि:-..... 1 जून 2017 को आयु.....

लिंग:-.....

शैक्षणिक योग्यता:-..... वार्षिक आय.....

जनजाति का नाम:-.....

पिन कोड सहित पूरा पता:-.....

.....

एसटीडी कोड के साथ संपर्क फोन / मोबाइल नंबर (स्वयं एवं अभिभावक दोनों):-.....

ईमेल पता.....

क्या पहले कभी आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में भाग लिया था। हां / नहीं

क्या युवा मंडल के सदस्य हैं

युवा कार्य अथवा सामुदायिक सेवा में अनुभव

इस कार्यक्रम से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं.....

.....

मैं स्वीकार करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई जानकारी, मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। मैं यह भी स्वीकार करता/करती हूँ कि मैंने अपने माता-पिता/अभिभावक को सूचना दे दी है कि मैं आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2018-19 में भाग ले रहा/रही हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर
(नाम.....)

स्थान:

तिथि:

नेहरू युवा केंद्र संगठन
क्षतिपूर्ति बांड

10वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम

मैं, _____,
पुत्र/पुत्री _____,
निवासी ग्राम _____, जिला _____, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं 10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में एक प्रतिभागी के तौर पर, अपनी इच्छा से आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम और उसकी गतिविधियों में सम्मिलित हो रहा/रही हूँ और मुझे आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम (जिनमें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कार्यक्रम स्थल तक की जाने वाली यात्राएं, तथा वापसी यात्राएं शामिल हैं) के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है और मैं किसी भी परिस्थिति में, आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2018-19 में भाग लेने के दौरान होने वाली किसी क्षति अथवा चोट का कोई दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

मैं पूरी तरह से समझता/समझती हूँ कि ने.यु.कें.सं., सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और गृह मंत्रालय, भारत सरकार, किसी भी तरह से ऐसी किसी भी दुर्घटना/क्षति/चोट जोकि इस कार्यक्रम और गतिविधियों में भाग लेने के दौरान मुझे प्रभावित करते हैं, उसके किसी भी प्रकार के मुआवजे का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

<p>_____</p> <p>(प्रतिभागी के हस्ताक्षर)</p> <p>नाम _____</p> <p>तिथि _____</p> <p>_____</p> <p>गवाह 1 के हस्ताक्षर :</p> <p>नाम _____</p> <p>तिथि _____</p>	<p>_____</p> <p>(अभिभावक के हस्ताक्षर)</p> <p>नाम _____</p> <p>तिथि _____</p> <p>_____</p> <p>गवाह 2 के हस्ताक्षर:</p> <p>नाम _____</p> <p>तिथि _____</p>
--	---

नेहरू युवा केंद्र संगठन
10वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम
समर्थनकर्ता: गृह मंत्रालय, भारत सरकार

स्थान:-.....
अवधि: तिथि से..... तिथि तक.....

प्रतिभागियों की सूची

जिले का नाम:.....

राज्य का नाम:.....

क्र.सं.	प्रतिभागी का नाम	पिता/जीवनसाथी का नाम	प्रतिभागी की जनजाति का नाम	लिंग (पुरुष/महिला)	ई-मेल, टेलीफोन एवं मोबाइल नं. सहित पूरा पता	जन्म तिथि (आयु)	शैक्षणिक योग्यता	अर्जित व्यावसायिक प्रशिक्षण / कौशल	वार्षिक पारिवारिक आय
01									
02									
03									
04									
05									
06									
07									
08									
09									
10									
11									
12									
13									
14+									

(संबद्ध जिला ने.यु.के. के जिला युवा समन्वयक /
कमानडिंग अधिकारी सीआरपीएफ /
कमानडिंग अधिकारी बीएसएफ का नाम एवं हस्ताक्षर, मोहर सहित)

(जिला पुलिस अधीक्षक का
नाम एवं हस्ताक्षर, मोहर सहित)

(डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट- सह-कलेक्टर /
उपायुक्त का नाम एवं हस्ताक्षर, मोहर सहित)

नेहरू युवा केंद्र संगठन
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार
का एक स्वायत्त निकाय

10वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार

समर्थनकर्ता: गृह मंत्रालय, भारत सरकार

स्थान:-.....

अवधि: तिथि से..... तिथि तक.....

आईडी कार्ड का प्रारूप

प्रतिभागी की विधिवत
हस्ताक्षरित पासपोर्ट
आकार की फोटो चिपकाने
के लिए स्थान

नाम:-.....

पिता / जीवनसाथी का नाम:-.....

जन्मतिथि:-.....

लिंग:-.....

ब्लड ग्रुप:-.....

जनजाति का नाम:-.....

पिन कोड सहित पूरा पता:-.....

.....

एसटीडी कोड के साथ संपर्क फोन / मोबाइल नंबर (स्वयं एवं अभिभावक दोनों):-.....

.....

जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पद:-.....

.....

फोन नंबर:-.....

जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

(जिला युवा समन्वयक, ने.यु.कें.)

ने.यु.कें.सं., सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी एवं आईटीबीपी के नोडल अधिकारियों का विवरण

1. ने.यु.कें.सं. (प्रतिभागी राज्यों) के नोडल अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	मंडल का नाम	राज्य निदेशक	पता	फोन नं. और फैक्स नं.
1.	छत्तीसगढ़	श्री मनोज कुमार समाधिया	तुतेजा बिग (एनसीसी कार्यालय) के सामने, गोल चौक के पास, रोहिणी पुरम, रायपुर छत्तीसगढ़, पिन: 492013	फोन नं.: 771-2262674, 2263674 मोबाइल नं. 09425015012 ईमेल: nyks_raipur2262674@yahoo.com
2.	झारखंड	श्री एस.पी. पटनायक	आनंद विला, आनंद मोहन लेन, हरिहर सिंह रोड, मोराबादी, रांची, झारखंड, पिन: 834008	फोन नं.: 0651-2550061 मोबाइल नं. 9430103013 ईमेल: nyks_ranchi@yahoo.co.in , spnyks@gmail.com
3.	उड़ीसा	श्रीमती रीता भगत	प्लॉट सं.71-वीआईपी एरिया, आई.आर.सी गांव भुवनेश्वर, उड़ीसा, पिन: 751015	फोन नं.: 0674-2558352, 2558313 मोबाइल नं. 9431102788, 7873821520 ईमेल: zdneyksbhu@gmail.com
4.	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	श्री ऋषि पाल सिंह	नेहरू युवा केंद्र संगठन, मं.सं.16-2-738/4/5 प्लॉट नं. 4 एसबीएच कॉलोनी असमानगढ़ मलकपेट, हैदराबाद - 500036, आंध्र प्रदेश	फोन नं.: 040-24155180, 24151275, मोबाइल नं. :-8332880851 ईमेल :- zdneykshyd@yahoo.co.in
5.	महाराष्ट्र	श्रीमती संध्या देओतले	नेहरू युवा केंद्र संगठन, दूसरी मंजिल, जेपी नायक भवन, कलिना कैम्प, मुंबई विश्वविद्यालय, विद्यानगरी सांताक्रूज, (पूर्वी) मुंबई-400098, महाराष्ट्र।	फोन नं.: 022-26530292, 26530203, मोबाइल नं.- 09004316391 ईमेल :- zdneyksmaha@rediffmail.com
6.	बिहार	श्री अनिल कौशिक	नेहरू युवा केंद्र संगठन, आरसीसी 121, रानी सदन, दूसरी मंजिल, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, सेक्टर-4 टीवी टॉवर के पास, कांकेरबाग, पटना 800026	फोन नं.: 612-2344261, मोबाइल नं - 9424200601 ईमेल :- nyks_2006@yahoo.co.in

ने.यु.के.सं. के जिला नोडल अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम	जिला युवा समन्वयक का नाम	पता	फोन नं. और ईमेल आईडी
1.	छत्तीसगढ़	बस्तर	श्री सुनील अतुलकर	सिटी ग्राउंड के सामने - चांदनी चौक, बस्तर (जगदलपुर) - 494001	फोन नं. 07782-221560, मोबाइल नं. 09424745444 ईमेल:- nykjdp@yahoo.com
2.		बीजापुर	श्री सुनील अतुलकर	श्री सुनील अतुलकर, बस्तर के जिला युवा समन्वयक, बीजापुर के बाद अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। बीजापुर में कोई केंद्र स्थापित नहीं किया गया है।	फोन नं. 07782-221560, मोबाइल नं. 09424745444 ईमेल:- nykjdp@yahoo.com
3.		दंतेवाड़ा	श्री सुनील अतुलकर	कोर्ट चौक के पास, पीएनबी, मेन रोड, अग्राभट, दंतेवाड़ा-494449	फोन नं. 07856-252723, मोबाइल नं. 09424745444 ईमेल:- nykdante@yahoo.com
4.		कांकेर	श्री जयप्रकाश शर्मा	ज्ञानी चौक, धुधावा रोड, अन्नापूर्णा भवन कोडा भट्ट, (बर्देभट) कांकेर (छत्तीसगढ़)	फोन नं. 07868-241269, मोबाइल नं. 9827106774 ईमेल:- nyk_knk@gmail.com
5.		नारायणपुर	श्री जयप्रकाश शर्मा	श्री जयप्रकाश शर्मा, बस्तर के जि.यु.सं., नारायणपुर के बाद अतिरिक्त प्रभार को संभाल रहे हैं। नारायणपुर में कोई केंद्र स्थापित नहीं किया गया है।	मोबाइल नं. 9827106774
6.		सुकमा	श्री सुनील अतुलकर	बस्तर के जि.यु.सं., श्री जयप्रकाश शर्मा, सुकमा के बाद अतिरिक्त प्रभार को संभाल रहे हैं। सुकमा में कोई केंद्र स्थापित नहीं किया गया है।	मोबाइल नं. 09424745444
7.		कोंडागांव	श्री जयप्रकाश शर्मा	कांकेर के जि.यु.सं., श्री जयप्रकाश शर्मा, कोंडागांव के बाद अतिरिक्त प्रभार को संभाल रहे हैं। कोंडागांव में कोई केंद्र स्थापित नहीं किया गया है।	मोबाइल नं. 9827106774
8.		राजनांदगांव	श्री श्रीकांत पांडे	नेहरू युवा केंद्र, IV-41, कम्युनिटी हॉल के सामने, वर्धमान नगर, राजनांदगांव।	फोन नं. 07744-224826, मोबाइल नं. 08234976626, ईमेल:- nyrndgaon@rediffmail.com
9.		झारखंड	चतरा	श्रीमती ललिता कुमारी	एयरटेल टॉवर के पास, अवली मोहल्ला, कचेरी पखरिया रोड, चतरा-825401

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम	जिला युवा समन्वयक का नाम	पता	फोन नं. और ईमेल आईडी
10.		गढ़वा	श्री रेमिस मिन्ज़	केयर/ऑफ केदारनाथ शुक्ला, सहिजन चिनिया रोड, गढ़वा- 822114	फोन नं. 06541-222632, मोबाइल नं. 09431989261 ईमेल:- dyc.garwah07@gmail.com
11.		गिरिडीह	श्री जी.सी. ओझा	अल्कापुरी, राजा चर्च के पास, जमुआ रोड, गिरिडीह - 815316	फोन नं. 06532-223143, मोबाइल नं. 09934154554 ईमेल:- dyc.giridih@gmail.com
12.		गुमला	श्री राजा गुप्ता	श्री राम नगर बाजार समिति, चेनपुर रोड, गुमला-835202	फोन नं. 06524-223238, मोबाइल नं.09031691283 ईमेल:- nykgumla1@gmail.com , 2014rajagupta@gmail.com
13.		लातेहार	श्रीमती ललिता कुमारी	केयर/ऑफ सुरेश शर्मा, विद्युत कार्यालय के पास, मेन रोड, पीओ लातेहार, लातेहार -829206	मोबाइल नं. 09431998694 ईमेल:- dyc.latehar@gmail.com
14.		पलामू	श्रीमती ललिता कुमारी	सर्कुलर रोड, पलामू (डाल्टनगज) -822102	फोन नं. 06562-224249, मोबाइल नं. 09431998694 ईमेल:- dyc.palamu13@gmail.com
15.		लोहरदगा	श्रीमती ललिता कुमारी	नेताजी सुभाष रोड, पलमेरगंज, लोहरदगा-835302	फोन नं. 06526-224003, मोबाइल नं. 09431998694 ईमेल:- dyc.lohardaga.12@gmail.com
16.		सिमडेगा	श्री अंजेलस मिन्ज़	केयर/ऑफ बी.बी. अग्रवाल कॉटेज, सोनार टोली, प्रिंस चौक के पास, सिमडेगा -835223	मोबाइल नं. 9470930685 ईमेल:- nyksimdega1@gmail.com
17.		पश्चिमी सिंहभूम	श्री बलराम दास	तमल बंध, सत्संग विहार के पास, तुंगरी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा-833201	फोन नं. 06582-256884, मोबाइल नं. 09431158327 ईमेल:- balramdascoordinator@gmail.com
18.		खूंटी	श्रीमती हनी सिन्हा	श्रीमती हनी सिन्हा खूंटी जिले में कार्यरत है, किंतु खूंटी में कोई भी ने.यु.कें. नहीं है, हालांकि 3 ने.यु.कें. को स्थापित किया जा रहा है।	मोबाइल नं. 09471315175
19.		रांची	श्रीमती हनी सिन्हा	नेहरू युवा केंद्र, आनंदविला, आनंद मोहन लेन, हरिहरसिंह रोड, मोराबादी, रांची -834008	मोबाइल नं. 09471315175 ईमेल:- dyc.ranchi@gmail.com
20.		दुमका	श्री रेमिस मिन्ज़	नेहरू युवा केंद्र, थानारोड, सिधु कानू हाई स्कूल के पास,	फोन नं. 06434-230664,

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम	जिला युवा समन्वयक का नाम	पता	फोन नं. और ईमेल आईडी
				दुमका-814 101	मोबाइल नं. 09431989261 ईमेल:- dyc.dumka@gmail.com
21.	उड़ीसा	कोरापुट	श्री मारियानस बिलुंग	कला निकेतन, कोरापुट -764020	फोन नं. 06852-250713, मोबाइल नं. 09437992855 ईमेल:- dyc.koraput@gmail.com
22.		मल्कानगिरी	श्री मारियानस बिलुंग	स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम, मल्कानगिरी-764045	फोन नं : 06861-230887 मोबाइल नं: 09437992855
23.		नुआपडा	श्री नरेश शर्मा	नीलासाला नगर, एसडीओ (टेलीफोन) के सामने, नुआपडा -766105	फोन नं. 06678-223360, मोबाइल नं. 07735069420 ईमेल:- dyc.naupada@gmail.com
24.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम (ग्रामीण)	श्री के.वी. रामाना	ने.यु.के., युवाजन भवन, महारमपेटा, विशाखापट्टनम	फोन नं. 0891-2712596, मोबाइल नं. 09493043979 ईमेल:- dyc.visakhapatnam@gmail.com
25.	तेलंगाना	खम्मम	श्री राजशेखर	ने.यु.के., मं.सं. 2-1-229, राजक विधि, गर्वमेंट वूमन कॉलेज के पीछे, खम्मम	फोन नं. 08742-228334 मोबाइल नं. 09441584095 ईमेल:- dyc.khammam@gmail.com
26.	महाराष्ट्र	गढ़चिरोली	श्री सरद सालुनके	श्री पवन एंटरप्राइजेज, बेहता फोटो स्टूडियो के पास, मेन रोड, गढ़चिरोली-4420603	फोन नं. 07132-232462, मोबाइल नं. 09422217214 ईमेल:- akhileshnirmala@rediffmail.com
27.		गोंदिया	श्री सरद सालुनके	नेहरू युवा केंद्र, कपासे बिल्डिंग, राणा प्रताप वार्ड, सिविल लाइंस, गोंदिया	फोन नं. 0782-237331 मोबाइल नं. 09422217214 ईमेल:- dycnykgondia@rediffmail.com
28.	बिहार	जमुई	श्री विजय कुमार	ने.यु.के., वीआईपी चौक, स्टेशन रोड, सतगामा, जमुई - 811307	फोन नं. 06189-233486, मोबाइल नं.09431140991 ईमेल:- dyc.jamui@gmail.com
29.		गया	श्री नरेंद्र राय	ने.यु.के., अनिश विला, अनुग्रहपुरी कॉलोनी, ज्यूडिशियल हाउस के पास, गया- 823001	फोन नं. 0631-222591 मोबाइल नं. 9431680944 ईमेल:- dyc.gaya@gmail.com

2. सीआरपीएफ के नोडल अधिकारी

क्र. सं.	क्षेत्र	डीआईजी का नाम	कार्यालय	मोबाइल नं.	कार्यालय नं.	कार्यालयों का पता
1.	छत्तीसगढ़	श्री डी.पी. उपाध्याय	डीआईजी (ऑप्स), दंतेवाड़ा	9425267650	07856-252736 ईमेल:- digp.dantewada@gmail.com	एस.पी. कार्यालय परिसर, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़-494449
2.	झारखंड	श्री मनीष कुमार सचचर	डीआईजी, रेंज, रांची	9471590079	06582-255034 ईमेल-digran@crpf.gov.in	रेंज-मुख्यालय, सीआरपीएफ रांची, झारखंड, झारखंड-833201
3.	उड़ीसा	श्री पी. के. नायक	डीआईजी, संबलपुर रेंज	94374858359	06856222038 ईमेल- opsrgda@gmail.com	हाथीपत्थर रोड, रानीगुड़ा फार्म, रायगढ़, उड़ीसा-765001
4.	आंध्र प्रदेश					
5.	तेलंगाना					
6.	महाराष्ट्र	श्री दिनेश उनियाल	डीआईजी (ऑप्स), गढ़चिरोली	9425106107	ईमेल- digopsgdch@crpf.gov.in digrangenagpur@gmail.com	कार्यालय: डीआईजी (सामने) सीआरपीएफ पुलिस कॉम्प्लेक्स, गढ़चिरोली, महाराष्ट्र - 442605

सीआरपीएफ के जिला नोडल अधिकारी

क्र. सं.	जिला	कमांडेंट्स के नाम	यूनिट	मोबाइल नं.	कार्यालय नं.	कार्यालयों का पता
छत्तीसगढ़						
1.	बस्तर	श्री आर. डी. जेनी अनाल	80 बटेलि.	9479194540	07782-231833	नए बस स्टैंड के पास जगदलपुर, जिला-बस्तर, (छत्तीसगढ़) - 494001, ईमेल- Co80bn@crpf.gov.in
2.	बीजापुर	श्री आलोक अवस्थी	168 बटेलि.	9425267178	7807853-220197	नई दिल्ली परिसर, बीजापुर, (छत्तीसगढ़),ईमेल- Co168bn@crpf.gov.in
3.	दंतेवाड़ा	श्री मनोज कुमार	111 बटेलि.	9425268960	07856-252624	डीआरपी लाइन, करली दंतेवाड़ा, (छत्तीसगढ़)- 494441, ईमेल- Co111bn@crpf.gov.in
4.	कोंडागांव	श्री कविंद्र कुमार चंद	188 बटेलि.	9425295253	07786-242600	चिकलपुटी, जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़- 44226, ईमेल- Commandant188bn@crpf.gov.in
5.	सुकमा	श्री आर एस शेखावत	02 बटेलि.	9425267301	07866-283483	सबरी नगर, सुकमा, छत्तीसगढ़, पिन-494111, ईमेल- co2bn@crpf.gov.in
झारखंड						
6.	चतरा	श्री जैकोब वी टुसिंग	190 बटेलि.	9431005644/ 9431706120	06541-253526	इतखोरी रोड, चतरा कॉलेज के पास, चतरा, (झारखंड)-825401
7.	गढ़वा	श्री कैलाश कुमार	172 बटेलि.	9431136736	06561-223301	नई पुलिस लाइन्स, गढ़वा (झारखंड) - 82211
8.	गिरिडीह	श्री प्रदीप सिंह	07 बटेलि.	9431815916	06532-250704	सिविल सर्जन ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस कॉलोनी रोड, बीएसएनएल कॉलोनी के पास, गिरिडीह, (झारखंड) - 815301

क्र. सं.	जिला	कमांडेंट्स के नाम	यूनिट	मोबाइल नं.	कार्यालय नं.	कार्यालयों का पता
9.	गुमला	श्री एच रंजीत सिंह	218 बटेलि.	9471590089	06524-221220	आईटीआई गर्ल्स कॉलेज सिलम, पीओ- सिलम, जिला-गुमला (झारखंड)-835207
11.	सिमडेगा	श्री राज कुमार	94 बटेलि.	9470590940	06528-221670	ताजना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, खूंटी (झारखंड) - 835210
12.	लातेहार	श्री पंकज कुमार	11 बटेलि.	9431005618	06565-248540	ब्लॉक कॉलोनी के पास, लातेहार, पीएस एवं जिला-लातेहार (झारखंड) - 829206
13.	लोहरदगा	श्री मनोज कुमार गुसा	158 बटेलि.	8987788483	06526-224047	एएनएम हॉस्टल, रघु टोली, लोहारदाग्गा, झारखंड-835302
14.	पलामू	श्री एस. के. लिंडा	134 बटेलि.	9431815884	06562-240110	जीएलए कॉलेज के सामने, डाल्टनगंज, पलामू, झारखंड-822102
15.	पश्चिमी सिंहभूम	श्री तारीक हुसैन खान	197 बटेलि.	9431005671	06582-255300	जिला कल्याण विभाग भवन, चाईबासा, जिला-पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड-833201
16.	खूंटी	श्री राज कुमार	94 बटेलि.	9470590940	06528-221670	ताजना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, खूंटी, (झारखंड)-835210
उड़ीसा						
17	नुआपड़ा	श्री संदीप कुमार चौबे	216 बटेलि.	09437478701	commandant216bn@gmail.com	जिला रिजर्व पुलिस लाइन, नुआपड़ा, उड़ीसा -766105
आंध्र प्रदेश						
18	विशाखापट्टनम	श्री कुलवीर सिंह देशवाल	198 बटेलि.	9440900314	Co198bn@crpf.gov.in	मुख्यालय-एन राव भवन, विश्वाक्षी नगर, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश -530043
तेलंगाना						
19	खम्मम	श्री के. मनोज कुमार	141 बटेलि.	9440900321	Co141bn@crpf.gov.in	मुख्यालय-काट्या गार्डन, कुणावरम रोड, जिला-खम्मम, भद्राचलम, जिला, तेलंगाना (टीएस) - 507111
महाराष्ट्र						
20	गढ़चिरौली	श्री दिनेश उनियाल	डीआईजी, (ऑप्स) गढ़चिरौली	9425106107	digrangenagpur@gmail.com digopsgdch@crpf.gov.in	कार्यालय: डीआईजी (ऑप्स), सीआरपीएफ, पुलिस कॉम्प्लेक्स, गढ़चिरौली (महाराष्ट्र)

3. बीएसएफ के नोडल अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	नाम	पद	टेली. नं. (लैंडलाइन)	मोबाइल नं.	ईमेल
राज्य समन्वयक (छत्तीसगढ़)					
1.	श्री आई.एस. राम	डीआईजी (जी), टीएचक्यू आईजी (स्पे. ऑप्स) छत्तीसगढ़, कांकेर जिला		9479190062	ranainderjit@gmail.com
राज्य समन्वयक (उड़ीसा)					

1.					
समन्वयक, कोरापुट जिला (उड़ीसा)					
2.	श्री आशीष बेहरा	21 सी (ऑप्स),एसएचक्यू, बीएसएफ कोरापुट	06852-252058	9439648004	ashisa.behra.bjb@gmail.com
समन्वयक, मल्कानगिरी जिला (उड़ीसा)					
3.	श्री दीपक कुमार मोहंती	डीसी, एसएचक्यूबीएसएफ मल्कानगिरी		9437429210	dkmohanty63@gmail.com

10 कार्यक्रम स्थलों के लिए ने.यु.कें.सं. मेज़बान राज्य नोडल अधिकारी

क्र.सं	कार्यक्रम स्थल का नाम	क्षेत्र का नाम	राज्य निदेशक	पता	फोन नंबर और फैक्स नंबर
1.	दिल्ली	दिल्ली	श्री वीरेंद्र खत्री	नेहरू युवा केंद्र संगठन कॉम्प्लेक्स, जीटी करनाल रोड, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के समीप, अलीपुर (दिल्ली), पिन कोड: 110036, नई दिल्ली	फोन नं:- 011-27204804, 27204761 मोबाइल No. - 7727856262 ईमेल: alipurzd@gmail.com
2.	जयपुर	जयपुर (राजस्थान)	श्री वीरेंद्र खत्री	नेहरू युवा केंद्र संगठन, रूम नं. 204-205, केन्द्रीय सदन खंड ए, सेक्टर-10, विदादर नगर, जयपुर -302001, राजस्थान	फोन नं:- 141-2232665, मोबाइल No.:- 7727856262 फैक्स नं:- 141-2236836
3.	बेंगलुरु	बेंगलुरु (कर्नाटक)	श्री एस साठीसे	नेहरू युवा केंद्र संगठन, नं. 854/15, 17वीं जी मेन रोड, वी ब्लॉक राजाजी नगर, बेंगलोर, कर्नाटक	फोन नं:- 080-23117787, 23118454, 9483373043 फैक्स नं:- 080-23117789
4.	हैदराबाद	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	श्री ऋषि पाल सिंह	नेहरू युवा केंद्र संगठन, मं. सं. 16-2-738 / 4/5 प्लॉट नंबर 4 एसबीएच कॉलोनी असमांगढ मालकपेट, हैदराबाद -500036, आंध्र प्रदेश	फोन नं:- 040-24155180, 24151275, 8332880851 फैक्स नं:- 040-24151444
5.	सूरत	गुजरात	सुश्री अनीता भारतीय	नेहरू युवा केंद्र संगठन, जीपीपी परिषद, बलवंतराय मेहता भवन, दूसरी मंजिल, सेक्टर-17, जिला पंचायत के पास, गांधीनगर, गुजरात	फोन नं:- 079-23232032, मोबाइल No. 9409307207 ईमेल: zdneyksguj@rediffmail.com
6.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	श्री जे.पी.एस. नेगी	नेहरू युवा केंद्र संगठन, 02/112 विशाल खंड-2, गोमती नगर, लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश।	फोन नं:- 522-2397003/02 मोबाइल No. 8005496699 ईमेल: negijaipal@yahoo.co.in
7.	जम्मू	जम्मू-कश्मीर	श्री सुखदेव सिंह	नेहरू युवा केंद्र संगठन, 39-ए/सी गांधीनगर, जम्मू-180004	फोन नं:- 191-2457950, मोबाइल :- 9419255912 फैक्स नं:- 191-2457950 ईमेल: zd.jk.nyks@gmail.com
8.	चेन्नई	चेन्नई (तमिलनाडु)	श्री एस साठीसे	नेहरू युवा केंद्र संगठन, 71, दूसरा मेन रोड, वीजीपी लेआउट, तीसरा पार्ट, चेन्नई-600041, तमिलनाडु	फोन नं:- 044-24510209, मोबाइल :- 9446473043

क्र.सं	कार्यक्रम स्थल का नाम	क्षेत्र का नाम	राज्य निदेशक	पता	फोन नंबर और फैक्स नंबर
					फैक्स नं.:044-24510215 ईमेल: nykszochnai@gmail.com ssatheese@yahoo.com
9.	मुंबई	मुंबई (महाराष्ट्र)	श्रीमती संध्या देओतले	नेहरू युवा केंद्र संगठन, दूसरी मंजिल जेपीएन भवन, कलिना कैम्प, मुंबई विश्वविद्यालय, विद्यानगरी सांताक्रूज, पूर्वी मुंबई-400098, महाराष्ट्र	फोन नं.: 022-26530292, 26530203, 09004316391 फैक्स नं.: 022-2661855 ईमेल- zdneyksmaha@gmail.com
10.	पंचकुला	हरियाणा	श्री जे एस कूनर	नेहरू युवा केंद्र संगठन, ज्वाला हॉस्टल पीईसी कैम्पस गेट नंबर 1, सेक्टर-12, चंडीगढ़, हरियाणा	फोन नं.: 177-2837837, मोबाइल :-9417011936 फैक्स नं.: 177-2837837 ईमेल- nyksharyana@gmail.com

एसएसबी के नोडल अधिकारी

क्र. सं.	नाम	पद	टेली. नं.(लैंडलाइन)	मोबाइल नंबर	ईमेल आईडी
1.	श्री एम एस यादव, कमांडेंट	6वीं बटेलि., जमुई, बिहार		7091491171, 08127440777	maheshyadav188@yahoo.co.in
2.	श्री महेश कुमार, कमांडेंट	8वीं बटेलि., गया	0631-2200298	943182073	bn08@ssblkw.nic.in
3.	श्री सुजीत कुमार	आईपीएस कमांडेंट, 18वीं बटेलि., एसएसबी, दुमका		9431821321, 9971723668	surjipchauhan@gmail.com
4.	श्री जे पी राणा, कमांडेंट	26वीं बटेलि., एसएसबी, रांची		9470488349, 07599123146	jyotirana50@gmail.com

आईटीबीपी, राजनांदगांव के नोडल अधिकारी

क्र. सं	नाम	पद	टेली. नं.(लैंडलाइन)	मोबाइल नंबर	पता
1.	श्री अशोक कुमार नेगी- पीएमजी (जिला- राजनांदगांव के नोडल अधिकारी)	उप- महानिरीक्षक (बेंगलुरु) भारत- तिब्बत सीमा पुलिस बल, गृह मंत्रालय / भारत सरकार	0788-2220033	08126660777, 9479194732	पुरानी हॉस्पिटल बिल्डिंग, नए बस स्टैंड के समीप, विजयपुरा, देवनहल्ली तालुक, बेंगलोर (कर्नाटक)
2.	श्री. एस.बी. शर्मा (जिला-नारायणपुर के नोडल अधिकारी)	उप-महानिरीक्षक, (भुवनेश्वर), भारत- तिब्बत सीमा पुलिस बल, गृह मंत्रालय/भारत सरकार	06755-220033	9425403955	विक्रम नगर, पीओ- शरदपुर, जिला. खुर्दा (उड़ीसा), पिन -752057

10वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए एजेंसीवार और जिलावार एस्कोट्स की संख्या का विवरण

मंडल का नाम	जिले का नाम	सीआरपीएफ	बीएसएफ	आईटीबीपी	एसएसबी	ने.यु.कें.सं.	कुल
छत्तीसगढ़	बस्तर	3	0	0	0	2	5
	बिजापुर	3	0	0	0	2	5
	दंतेवाड़ा	3	0	0	0	2	5
	कांकेर	0	10	0	0	0	10
	नारायणपुर	0	0	6	0	4	10
	सुकमा	6	0	0	0	4	10
	कोंडागांव	3	0	0	0	3	6
	राजनंदनगांव	0	0	5	0	6	11
झारखंड	छतरा	7	0	0	0	0	7
	गढ़वा	7	0	0	0	0	7
	गिरिडीह	7	0	0	0	0	7
	गुमला	7	0	0	0	0	7
	लातेहार	7	0	0	0	0	7
	पलामू	7	0	0	0	0	7
	लोहरदगा	7	0	0	0	0	7
	सिमडेगा	6	0	0	0	0	6
	पश्चिमी सिंहभूम	6	0	0	0	0	6
	खूंटी	6	0	0	0	0	6
	रांची	0	0	0	6	0	6
	दुमका	0	0	0	6	0	6
	ओडिसा	कोरापुट	0	6	0	0	0
मल्कानगिरी		0	8	0	0	0	8
नुआपड़ा		5	0	0	0	3	8
तेलंगाना आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम (ग्रामीण)	4	0	0	0	3	7
तेलंगाना	खम्मम	4	0	0	0	3	7
महाराष्ट्र	गढ़चिरोली	7	0	0	0	0	7
	गोंदिया	0	0	0	0	7	7
बिहार	जमुई	0	0	0	5	0	5
	गया	0	0	0	2	2	4
	कुल	105	24	11	19	41	200

10वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के 1 एस्कोर्ट का बजट विवरण

क्र. सं.	प्रमुख मद	विवरण	राशि
			(रूप में)
1	यात्रा भता	a) एस्कोर्ट्स को अपने निवास से जिला मुख्यालय तक आने और वापसी के लिए रु. 300/- प्रति व्यक्ति की दर से टी.ए., वास्तविकता के अधीन	300
2		b) जिले से कार्यक्रम स्थल तक आने और वापसी के लिए रु.2000/- प्रति व्यक्ति की दर से यात्रा भता, वास्तविकता के अधीन	2000
3		c) एस्कोर्ट के स्टेशन / बस स्टैंड से आवास के स्थान तक आने और वापसी के लिए रु. 200 रुपये प्रति एस्कोर्ट की दर से स्थानीय टी.ए.	200
4	यात्रा के दौरान डी.ए.	कार्यक्रम (250x4) के दौरान 4 दिनों की यात्रा के लिए 250/- रुपये प्रति व्यक्ति की दर से यात्रा हेतु डी.ए., वास्तविकता के अधीन	1000
5	बोर्डिंग और लॉजिंग	9 दिनों के लिए रु. 350/- प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से बीएंडएल खर्च (7+2 दिन (प्रस्थान के समय की ब्रीफिंग के 1 दिन पहले तथा डिब्रीफिंग के लिए वापसी पर 1 दिन) (350x9)	3150
6	बीमा	रुपये 200 प्रति व्यक्ति की दर से आईडी कार्ड, बीमा आदि	200
		कुल	6850
		200 एस्कोर्ट्स के लिए = 6850 x 200	13,70,000

नेहरू युवा केंद्र संगठन
10वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, 2017-18
सारांश रिपोर्टिंग का प्रारूप और विस्तृत रिपोर्ट जमा करने हेतु बिंदु
 (आयोजनकर्ता राज्य के राज्य निदेशक द्वारा तैयार किया जाए)

भाग - ए

मंडल: **राज्य:** **राज्य निदेशक का नाम:**

1. तिथि: से तक
2. आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का स्थल:
3. सहयोगी विभाग और एजेंसियां:.....
4. एकत्रित संसाधन समर्थन:
 - a) सामग्री (प्रकार) मात्रा कीमत (रुपए में)
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - b) कोष (रु. में)
5. विषय विशेषज्ञों एवं विशेषज्ञता के उनके क्षेत्र का नाम जिन्होंने टीवाईईपी प्रतिभागियों को संबोधित किया।
 - i.
 - ii.
 - iii.
 - iv.
6. टीवाईईपी में उपस्थिति गणमान्य व्यक्तियों/वीआईपी व्यक्तियों के नाम और पदनाम
 - i.
 - ii.
 - iii.
 - iv.
7. 10वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, 2017-18 में शामिल मुद्दों और विषयों सहित आयोजित कार्यक्रम और गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण

(कृपया एक अलग शीट का प्रयोग करें)

8. प्रतिभागियों एवं एस्कोर्ट्स का विवरण

क्र. सं.	भाग लेने वाला		प्रतिभागी										एस्कोर्ट्स																			
			राज्य		जिला		एसएसबी		आईटीबीपी		सीआरपीएफ		बीएसएफ		ने.यु.कें.सं		कुल		एसएसबी		आईटीबीपी		सीआरपीएफ		बीएसएफ		ने.यु.कें.सं		कुल		कुल जोड़	
	पु	म	पु	म	पु	म	पु	म	पु	म	पु	म	पु	म	पु	म	पु	म	पु	म	पु	म	पु	म	पु	म	पु	म				
1.																																
2.																																
3.																																
4.																																
5.																																
6.																																
कुल																																
कुल जोड़																																

यह प्रमाणित किया जाता है कि आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में आयोजित की गई गतिविधियों और कार्यक्रमों में सभी प्रतिभागी एवं एस्कोर्ट्स उपस्थित हुए।

राज्य निदेशक के हस्ताक्षर

युवा समन्वयक के हस्ताक्षर

भाग - बी

आयोजित किए गए कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का विवरण (विस्तृत रिपोर्ट में प्रदान किया जाए)

10वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम की विस्तृत गुणात्मक रिपोर्ट को उपरोक्त भाग-क सहित प्रेस कटिंग, एक्शन फोटोग्राफ, ऑडियो वीडियो क्लिपिंग, उद्घाटन और समापन समारोह के साथ निम्नलिखित बिंदुओं को भी कवर करना चाहिए।

उद्घाटन समारोह - उद्घाटन समारोह पर की गई प्रक्रियाओं एवं कार्यक्रमों के विवरण सहित कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विवरणों को भी प्रदान किया जाना चाहिए।

व्याख्यान शृंखलाएं - संसाधन व्यक्ति, कवर किए गए विषय, किए गए विचार-विमर्शों के विवरण।

संवादात्मक सत्र - वीआईपी के साथ बैठक का ब्यौरा

नए कार्यक्रमों और गतिविधियों का विवरण।

आयोजित बाहरी गतिविधियों का विवरण।

भाग लेने वाले राज्यों की संस्कृति, भाषा शिक्षण, फूड फेस्टिवल, पारंपरिक वेशभूषा और जीवनशैली पहलुओं पर कार्यक्रम और गतिविधियों का विवरण।

देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण या आतंकवाद बनाम विकास पर भाषण प्रतियोगिता।

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता।

सीआरपीएफ से महिलाओं के लिए स्व-रक्षा कक्षाएं

परामर्श के विषय में महिलाओं की रक्षा एवं सुरक्षा पर जागरूकता सत्र शामिल किया जाना चाहिए

उद्यमिता विकास कौशल (प्रबंधन गेम)

युवा संसद

वृक्षारोपण

स्वच्छता अभियान

कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श - रोजगार एवं स्व-रोजगार के अवसरों हेतु उपलब्धताओं की विस्तृत जानकारी के साथ

कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श के अंतर्गत कवर किए गए सत्र।

राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण - देश के सामाजिक और सांस्कृतिक लोकाचार का ज्ञान तथा महान भारतीय सभ्यता की विविधता का ज्ञान, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत

अनुभव को साझाकरण और क्रियान्वयन योजना का विकास।

समापन समारोह - समापन समारोह पर की गई प्रक्रियाओं एवं कार्यक्रमों के विवरणों सहित कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विवरण भी प्रदान किए जाने चाहिए।

10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों और एस्कोटर्स का स्थानवार और जिलावार वितरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्रतिभागियों को संगठित करने वाले	छत्तीसगढ़								झारखंड										ओडिसा			आंध्र प्रदेश	तेलंगा ना	महाराष्ट्र		बिहार		एजे सीयार योग	कुल प्रतिभा गि और एस्को टर्स			
			बस्तर	बिजापुर	दंतवाड़ा	कांकेर	नारायणपुर	सुकमा	कोंडागांव	राजनंदनगांव	छत्तरा	गढ़वा	गिरिडीह	गुमला	लातेहार	पलामू	लोहरदगा	सिमडेगा	पश्चिमी सिंहभूम	खूंटी	रांची	दुमका	कोरापुट	मल्कानगिरी	नुआपड़ा	विशाखापट्टनम (वामीणा)	खम्माम	गोंदिया	गढ़चिरौली			जमुई	गया	
1	हैदराबाद	सीआरपीएफ	20	10	10			10	10		20	20	10																				110	200
		बीएसएफ				10																											10	
		आईटीबीपी					10		10																							20		
		एसएसबी																														0		
		ने.यु.कै.सं.	10		10		10	10	10	10																						60		
		एस्कोटर्स	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1																		20	20	
2	जयपुर	सीआरपीएफ	10	10	10			15	10		20																					75	200	
		बीएसएफ				20																										20		
		आईटीबीपी					15		10																							25		
		एसएसबी																														0		
		ने.यु.कै.सं.	10	10	10		15	15	10	10																						80		
		एस्कोटर्स	2	2	2	2	3	3	2	2	2																					20	20	
3	दिल्ली	सीआरपीएफ		10	10			15	10		20	10																				75	200	
		बीएसएफ				30																										30		
		आईटीबीपी					25		10																							35		
		एसएसबी																														0		
		ने.यु.कै.सं.		10			15	15	10	10																						60		
		एस्कोटर्स		2	1	3	4	3	2	2	2	2	1																			20	20	
4	बैंगलूरू	सीआरपीएफ					20			10	20	20	20	20	20																150	200		

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्रतिभागियों को संगठित करने वाले	छत्तीसगढ़							झारखंड										ओडिसा			आंध्र प्रदेश	तेलंगा ना	महाराष्ट्र		बिहार		एजे सीवार योग	कुल प्रतिभा गि और एस्को टर्स								
			बस्तर	बिजापुर	दंतेवाड़ा	कांकेर	नायगणपुर	सुकमा	कोडागांव	राजनंदनगांव	छत्तरा	गढ़वा	गिरिडीह	गुमला	लातेहार	पलामू	लोहरदगा	सिमडेगा	पश्चिमी सिंहभूम	बूढ़ी	रांची	दुमका	कोरपुट	मल्कानगिरी	नुआपड़ा	विशाखापट्टनम (श्रीलीला)	खम्मम	गोंदिया			गढ़चिरोली	जमुई	गया					
		बीएसएफ				10																														10		
		आईटीबीपी																																		30		
		एसएसबी																																		0		
		ने.यु.कै.सं.																																		10		
		एस्कोटर्स				1	1	2		3	1	2	2	2	2	2																				20	20	
5	सूरत	सीआरपीएफ										10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	160	200	
		बीएसएफ				20																															20	
		आईटीबीपी																																			0	
		एसएसबी																																			0	
		ने.यु.कै.सं.								20																											20	
		एस्कोटर्स				2			2		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	20	
6	मुंबई	सीआरपीएफ									10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	160	200	
		बीएसएफ				10																															10	
		आईटीबीपी																																			0	
		एसएसबी																																			30	
		ने.यु.कै.सं.																																			0	
		एस्कोटर्स				1					1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	20	
7	चेन्नई	सीआरपीएफ										10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	130	200	
		बीएसएफ																																			0	
		आईटीबीपी																																			0	
		एसएसबी																																			40	
		ने.यु.कै.सं.																																			30	

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्रतिभागियों को संगठित करने वाले	छत्तीसगढ़								झारखंड										ओडिसा			आंध्र प्रदेश	तेलंगा ना	महाराष्ट्र		बिहार		एजें सीवार योग	कुल प्रतिभा गि और एस्को टर्स				
			बस्तर	बिजापुर	दंतेवाड़ा	कांकेर	नारायणपुर	सुकमा	कोडागांव	राजनंदनगांव	छत्तरा	गढ़वा	गिरिडीह	गुमला	लातेहार	पलामू	लोहरदगा	सिमडेगा	पश्चिमी सिंहभूम	बूढ़ी	रांची	दुमका	कोरापुट	मल्कानगिरी	नुआपड़ा	विशाखापट्टनम (श्रीलीला)	खम्मम	गोंदिया	गढ़चिरोली			जमुई	गया		
		एस्कोटर्स										1	1	1	1	1	2	2	2	2	2			2	1		2					20	20		
8	जम्मु	सीआरपीएफ																					20			10		40				80	200		
		बीएसएफ																				30	20										50		
		आईटीबीपी																															0		
		एसएसबी																			10	10											20		
		ने.यु.कै.सं.																						10		20	20							50	
		एस्कोटर्स																									3	2	3	2	4			20	20
9	लखनऊ	सीआरपीएफ																					20	10				10				40	200		
		बीएसएफ																				10	30										40		
		आईटीबीपी																															0		
		एसएसबी																												20	10			60	
		ने.यु.कै.सं.																						10	20		20			10			60		
		एस्कोटर्स																				3	1	3	3	3		2	1	2	2		20	20	
10	पंचकुला	सीआरपीएफ																						20	30			20				70	200		
		बीएसएफ																				20	30										50		
		आईटीबीपी																															0		
		एसएसबी																											30	10			40		
		ने.यु.कै.सं.																							10	10	10			10			40		
		एस्कोटर्स																					2	3		3	4	1	2	3	2		20	20	
		कुल	55	55	55	110	110	110	66	121	77	77	77	77	77	77	66	66	66	66	66	66	88	88	77	77	77	77	55	44	2200	2200			

सीआरपीएफ	=	1050		बीएसएफ=	240		आईटीबीपी	=	110		एसएसबी	=	190		ने.यु.कै.सं.	=	410
----------	---	------	--	---------	-----	--	----------	---	-----	--	--------	---	-----	--	--------------	---	-----

नेहरू युवा केंद्र संगठन
10वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम (टीवाईईपी)
तिथि _____ से _____ तक
स्थान:-_____

प्रतिभागियों की अपेक्षाएं

(प्रश्नावली को प्रतिभागियों द्वारा आगमन पर भरा जाना चाहिए)

1. आप 10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में भाग क्यों लेना चाहते थे?

2. क्या आपने पहले कभी भारत के किसी अन्य हिस्से की यात्रा की है? यदि हां, तो आपका क्या अनुभव रहा?

3. इस कार्यक्रम से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं?

4. क्या आपके राज्य से बाहर आपके कोई मित्र / संबंधी रहते हैं _____ हां/नहीं
यदि हां, तो स्थान का नाम बताएं _____
5. राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र, शांति, सद्भाव और भाईचारे के बारे में आपकी क्या राय है और इन्हें मजबूत बनाने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे?

6. क्या आप नेहरू युवा केंद्र, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी एवं एसएसबी) तथा सरकार के अन्य सरकारी विभाग द्वारा आपके जिले में चलाए जा रहे युवा विकास कार्यक्रमों के बारे में जानते हैं, यदि हां, कृपया विस्तृत विवरण दें।

7. आप किन कार्यक्रमों में रुचि रखते हैं। (सामूहिक चर्चा, सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा, भाषण प्रतियोगिता, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, क्षेत्र भ्रमण, संवादात्मक बैठक, योग, व्यायाम, क्रीडा एवं खेलकूद इत्यादि) कृपया निर्दिष्ट करें?

8. आपके शौक (हॉबिज) क्या हैं? कृपया उल्लेख करें

9. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आदिवासी युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कौन से उपाय किए जाने चाहिए?

10. आप इस कार्यक्रम से विशेष रूप से क्या सीखना और अनुभव करना चाहते हैं?

11. कोई अन्य बिंदु जिसका आप उल्लेख करना चाहते हैं

नेहरू युवा केंद्र संगठन
 10वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम (टीवाईईपी)
 तिथि _____ से _____ तक
 स्थान:- _____

प्रतिभागियों के लिए फीडबैक फॉर्म

(प्रश्नावली को प्रतिभागियों द्वारा कार्यक्रम के समापन पर भरा जाना चाहिए)

1. प्रतिभागी का नाम (वैकल्पिक) _____
2. आपकी प्रथम भावना क्या थी, जब आप स्थल पर जाने के लिए रेल में बैठ रहे थे और अब आपके विचार और धारणा क्या हैं?

3. जैसा स्थान आपने सोचा था, क्या वो आपके द्वारा अनुभव किए गए स्थानों से अलग है, यदि हां, तो किस तरह से है?

4. क्या आपने किसी भाषण प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, महिलाओं की रक्षा एवं सुरक्षा पर स्व-रक्षा कक्षाएं और जागरूकता सत्र जैसे कार्यक्रमों, गतिविधियों और प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया है। यदि हां, तो कृपया कार्यक्रम के नाम का उल्लेख करें और कार्यक्रम के बारे में अनुभव भी साझा करें?

5. हमारे देश के संबंध में आपको सबसे अधिक प्रभावित किस चीज ने किया?
 विकास परिदृश्य _____
 विविधता _____
 परंपराएं _____
 संस्कृति _____
 भाषाएं और बोलियां _____
 कोई अन्य (उद्योग, कौशल विकास, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया) _____
6. क्या इस कार्यक्रम के दौरान, आपकी यात्राओं के स्थान तथा वहां के विकास परिदृश्य, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना आदि से संबंधित विषयों ने आपके ज्ञान को समृद्ध किया। यदि हां, तो किन मायनों में?

7. आपको कैसे लगता है कि आप शांति, मैत्री, भाईचारे, युवा विकास को बढ़ावा देने और आतंकवाद एवं नक्सलवाद का मुकाबला करने तथा राष्ट्रीय विकास में भागीदारी करने में अपना योगदान किस प्रकार से दे सकते हैं?

8. 10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में भाग लेने के पश्चात अपने इलाके में आदिवासियों को मुख्यधारा से जोड़ने एवं उनके विकास के लिए आप कौन सी भूमिका निभाएंगे?

9. 10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में भाग लेने के बाद आपके द्वारा जमा की गई जानकारी को अपने सहकर्मी समूहों के लाभ के लिए प्रसारित कैसे करेंगे?

10. 10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम की बेहतरी के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। वे कौन सी गतिविधियां हैं जिनको आप इस कार्यक्रम से जोड़ना/हटाना चाहेंगे।

11. निम्न पर आपकी समग्र धारणा क्या है:

• बोर्डिंग और लॉजिंग:- _____

• यात्रा व्यवस्थाएं:- _____

• कार्यक्रम और गतिविधियां:- _____

• यात्रा के स्थान:- _____

• अति विशिष्ट व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श:- _____

• युवाओं के साथ विचार-विमर्श:- _____

12. कोई अन्य टिप्पणी जो आप उपरोक्त बिंदुओं से अलग दर्ज करना चाहते हों

10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए बजट
प्रतिभागियों की कुल संख्या: 200 आदिवासी युवा प्रति स्थल

क्र. सं.	मुख्य मद	विवरण	राशि (रु. में)
1	यात्रा भत्ता	a) प्रतिभागियों को अपने निवास से जिला मुख्यालय तक आने और वापसी के लिए रु.300/- प्रति व्यक्ति की दर से टी.ए.(300 x 200), वास्तविकता के अधीन	60000
		b) जिले से कार्यक्रम स्थल तक आने और वापसी के लिए रु.2000/- प्रति व्यक्ति की दर से यात्रा भत्ता (2000x200), वास्तविकता के अधीन	400000
		c) प्रतिभागियों के स्टेशन / बस स्टैंड से आवास के स्थान तक आने और वापसी के लिए रु. 200 रुपये प्रति प्रतिभागी की दर से स्थानीय टी.ए.(200 x 200)	40000
2	यात्रा के दौरान डी.ए.	कार्यक्रम के दौरान 4 दिनों की यात्रा के लिए 250/- रुपये प्रति व्यक्ति की दर से यात्रा हेतु डी.ए. (250x200 x4), वास्तविकता के अधीन	200000
3	बोर्डिंग और लॉजिंग*	9 दिनों के लिए रु. 350/- प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से बीएंडएल खर्च (7+2 दिन (प्रस्थान के समय की ब्रीफिंग के 1 दिन पहले तथा डिब्रीफिंग के लिए वापसी पर 1 दिन) (200x350x9)	630000
4	एमईएस एवं अन्य महत्वपूर्ण जानाकारी पर प्रतिभागियों के लिए संसाधन किट / बैग	रु.200/- प्रति व्यक्ति की दर से (200x200)	40000
5	क्षेत्रीय यात्रा के दौरान स्थानीय युवाओं के साथ बातचीत कार्यक्रमों का आयोजन	रु.25,000/- प्रति कार्यक्रम की दर से न्यूनतम दो कार्यक्रम	50000
6	भाषण प्रतियोगिता के पुरस्कार	प्रथम पुरस्कार के लिए रु.20000/-, द्वितीय पुरस्कार के लिए रु.15000/- और तृतीय पुरस्कार के लिए रु.5000, कुल रु. 40,000/-	40,000
7	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिस्पर्धाएं	प्रथम पुरस्कार के लिए रु.5000/-, द्वितीय पुरस्कार के लिए रु.3000/- और तृतीय पुरस्कार के लिए रु.2000), कुल रु.10,000/-	10,000
8	वृक्षारोपण	पौधों एवं उपकरणों आदि की खरीद	8000
9	स्वच्छता अभियान	झाड़ू, कूड़ेदान, फिनाइल, ब्लीचिंग पाउडर आदि की खरीद।	5000
10	बीमा	आईडी कार्ड, बीमा आदि रु.200 प्रति व्यक्ति की दर से (200x200)	40000
11	उद्घाटन और वैदिक कार्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम	टेंट और शमियाना, इलैक्ट्रिसिटी और लाइट, साउंड सहित सजावट और आयोजन खर्च	80000
12	कार्यक्रम के ब्रोशर, बैनर की प्रिंटिंग और स्टिल फोटोग्राफी वीडियोग्राफी एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस	प्रेस कॉन्फ्रेंस, कार्यक्रम के ब्रोशर, बैकड्रॉप्स, बैनर की प्रिंटिंग और स्टिल फोटोग्राफी वीडियोग्राफी एवं वीडियोग्राफी आदि	80000
13	परिवहन	क्षेत्रीय यात्रा के लिए और वीआईपी एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ उनके आधिकारिक निवास, सीआरपीएफ/बीएसएफ/आईटीबीपी/एसएसबी कैंपस पर संवादात्मक बैठक हेतु 2 दिन के लिए 4 बसों को प्रति दिन प्रति बस रु.5000/- की दर से बस किराए पर लेना (5000x4x02), वास्तविकता के अधीन	40000
14	विषय-गत कार्यक्रम	रक हर दिन सायंकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामूहिक चर्चा, कैरियर मार्गदर्शन और संगोष्ठी आदि	70000
15	दस्तावेजीकरण	दस्तावेजीकरण एवं रिपोर्ट तैयार करना आदि	50000
16	ट्रैक सूट	200 प्रतिभागियों के लिए रु. 1000 की दर से प्रतिभागियों के ट्रैक सूट की खरीद	200000
17	चिकित्सा सहायता	प्रत्येक स्थल के लिए रु.2000/- प्रति दिन की दर से 7 दिनों हेतु एक चिकित्सा अधिकारी	14000
		कुल	20,57,000
200 प्रतिभागियों के लइए 10 कार्यक्रमों हेतु भाग-ए का जोड़= 20,57,000 x 10 स्थल			2,05,70,000
भाग-बी :- 200 एस्कोटर्स के लिए रु.6850/- प्रति व्यक्ति की दर से बजट (अनुलग्नक-9 के विवरण अनुसार)			13,70,000
10 आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का जोड़ (A)			2,19,40,000
(केवल दो करोड़ रुपये उन्नीस लाख चालीस हजार)			
*दिल्ली, मुंबई और जम्मू (दिल्ली एवं मुंबई मेट्रो शहर और जम्मू पहाड़ी क्षेत्र हैं) में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, बोर्डिंग एवं लॉजिंग रु.450/- प्रति व्यक्ति 7 दिनों के लिए प्रदान किया जाए। अतः रु.100 x 200 x 7 x 3 (बी) = 4,20,000/- की राशि शामिल है।			4,20,000
10 टीवाईपी के लिए कुल योग (A+B)			2,23,60,000

10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2017-18 के प्रतिभागियों और एस्कोटर्स के लिए जिलावार जारी बजट

पीए ओ मंडल	मंडल का नाम	जिले का नाम	प्रतिभागियों की संख्या	एस्कोटर्स की संख्या	यात्रा भत्ता				यात्रा के दौरान 4 दिनों के लिए डीए रु.250 की दर से = रु. 1000 प्रति व्यक्ति		रु.350 की दर से डिब्रीफिंग सत्रों हेतु प्रतिभागियों के लिए 2 दिनों के लिए बोर्डिंग एवं लॉजिंग व्यय		बीमा और आईडी कार्ड रु.200		जिला नेयुके को जारी की जाने वाली कुल राशि	पीएओ मंडल को जारी की जाने वाली कुल राशि		
					रु.300 की दर से निवास से जिला मुख्यालय		रु.2000/- की दर से जिला से कार्यक्रम स्थल और वापसी		एस्कोटर्स	प्रतिभागी	एस्कोटर्स	प्रतिभागी	एस्कोटर्स	प्रतिभागी			एस्कोटर्स	प्रतिभागी
					एस्कोटर्स	प्रतिभागी	एस्कोटर्स	प्रतिभागी										
गांधीनगर	छत्तीसगढ़	बस्तर	50	5	1500	15000	10000	100000	5000	50000	3500	35000	1000	10000	231000	3511200		
		बिजापुर	50	5	1500	15000	10000	100000	5000	50000	3500	35000	1000	10000	231000			
		दंतेवाड़ा	50	5	1500	15000	10000	100000	5000	50000	3500	35000	1000	10000	231000			
		कांकेर	100	10	3000	30000	20000	200000	10000	100000	7000	70000	2000	20000	462000			
		नारायणपुर	100	10	3000	30000	20000	200000	10000	100000	7000	70000	2000	20000	462000			
		सुकमा	100	10	3000	30000	20000	200000	10000	100000	7000	70000	2000	20000	462000			
		कोंडागांव	60	6	1800	18000	12000	120000	6000	60000	4200	42000	1200	12000	277200			
		राजनंदनगांव	110	11	3300	33000	22000	220000	11000	110000	7700	77000	2200	22000	508200			
	महाराष्ट्र	गोंदिया	70	7	2100	21000	14000	140000	7000	70000	4900	49000	1400	14000	323400			
		गढ़चिरोली	70	7	2100	21000	14000	140000	7000	70000	4900	49000	1400	14000	323400			
भुवनेश्वर	झारखंड	छतरा	70	7	2100	21000	14000	140000	7000	70000	4900	49000	1400	14000	323400	5082000		
		गढ़वा	70	7	2100	21000	14000	140000	7000	70000	4900	49000	1400	14000	323400			
		गिरिडीह	70	7	2100	21000	14000	140000	7000	70000	4900	49000	1400	14000	323400			
		गुमला	70	7	2100	21000	14000	140000	7000	70000	4900	49000	1400	14000	323400			
		लातेहार	70	7	2100	21000	14000	140000	7000	70000	4900	49000	1400	14000	323400			

पीए ओ मंडल	मंडल का नाम	जिले का नाम	प्रतिभागियों की संख्या	एस्कॉर्ट्स की संख्या	यात्रा भत्ता				यात्रा के दौरान 4 दिनों के लिए डीए रु.250 की दर से = रु. 1000 प्रति व्यक्ति		रु.350 की दर से डिब्रीफिंग सत्रों हेतु प्रतिभागियों के लिए 2 दिनों के लिए बोर्डिंग एवं लॉजिंग व्यय		बीमा और आईडी कार्ड रु.200		जिला नेयुके को जारी की जाने वाली कुल राशि	पीएओ मंडल को जारी की जाने वाली कुल राशि		
					रु.300 की दर से निवास से जिला मुख्यालय		रु.2000/- की दर से जिला से कार्यक्रम स्थल और वापसी		एस्कॉर्ट	प्रतिभागी	एस्कॉर्ट	प्रतिभागी	एस्कॉर्ट	प्रतिभागी			एस्कॉर्ट	प्रतिभागी
					एस्कॉर्ट	प्रतिभागी	एस्कॉर्ट	प्रतिभागी										
		पलामू	70	7	2100	21000	14000	140000	7000	70000	4900	49000	1400	14000	323400			
		लोहरदगा	70	7	2100	21000	14000	140000	7000	70000	4900	49000	1400	14000	323400			
		सिमडेगा	60	6	1800	18000	12000	120000	6000	60000	4200	42000	1200	12000	277200			
		पश्चिमी सिंहभूम	60	6	1800	18000	12000	120000	6000	60000	4200	42000	1200	12000	277200			
		खूंटी	60	6	1800	18000	12000	120000	6000	60000	4200	42000	1200	12000	277200			
		रांची	60	6	1800	18000	12000	120000	6000	60000	4200	42000	1200	12000	277200			
		दुमका	60	6	1800	18000	12000	120000	6000	60000	4200	42000	1200	12000	277200			
	ओडिसा	कोरापुट	60	6	1800	18000	12000	120000	6000	60000	4200	42000	1200	12000	277200			
		मल्कानगिरी	80	8	2400	24000	16000	160000	8000	80000	5600	56000	1600	16000	369600			
		नुआपडा	80	8	2400	24000	16000	160000	8000	80000	5600	56000	1600	16000	369600			
	बिहार	जमुई	50	5	1500	15000	10000	100000	5000	50000	3500	35000	1000	10000	231000			
		गया	40	4	1200	12000	8000	80000	4000	40000	2800	28000	800	8000	184800			
बैंगलूरु	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम (ग्रामीण)	70	7	2100	21000	14000	140000	7000	70000	4900	49000	1400	14000	323400	646800		
	तेलंगाना	खम्मम	70	7	2100	21000	14000	140000	7000	70000	4900	49000	1400	14000	323400			
		कुल	2000	200	60000	600000	400000	4000000	200000	2000000	140000	1400000	40000	400000	9240000	9240000		

10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2017-18 के आयोजन के लिए स्थलवार जारी बजट का विवरण

क्र. सं.	पीएओ मंडल	मंडल का नाम	ए स्कोट की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	यात्रा भत्ता (प्रतिभागियों और एस्कॉटर्स के लिए 200 रुपये की दर से स्टेशन / बस स्टैंड से आवास के स्थान तक स्थानीय टैरिफ) और वापसी		7 दिनों के लिए ₹.350 की दर से बोर्डिंग और लॉजिंग		प्रतिभागियों के लिए ₹.2000की दर से संसाधन किट / बैग	बातचीत कार्यक्रम का आयोजन	भाषण प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार (प्रथम पुरस्कार- ₹.20000/-, द्वितीय पुरस्कार- ₹.15000/- और तृतीय पुरस्कार ₹.5000)	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता (प्रथम पुरस्कार- ₹.5000/-, द्वितीय पुरस्कार- ₹.3000/- और तृतीय पुरस्कार ₹.2000)	वृक्षारोपण (पौधों एवं उपकरणों आदि की खरीद)	उद्घाटन और वैदिक कार्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम, वीडियोग्राफी	स्वच्छता अभियान - झाड़ू, कूड़ेदान, फिनाइल, ब्लीचिंग पाउडर आदि की खरीद।	प्रतिभागियों के लिए कार्यक्रम के प्रोथर, बैनर की प्रिंटिंग और फोटोग्राफ	प्रतिभागियों के ले परिवहन	विषय-गत कार्यक्रम (हर दिन)	दस्तावेजों का रिपोर्ट तैयार करना	प्रतिभागियों के लिए ₹. 1000 की दर से टी-शर्ट और ट्राउजर्स की खरीद	प्रतिभागियों के लिए चिकित्सा सहायता	संबंधित मंडल को जारी की जाने वाली कुल राशि	पीएओ मंडल को जारी की जाने वाली कुल राशि
					स्कोटर्स	प्रतिभागी	स्कोटर्स	प्रतिभागी															
1	बैंगलूरु	हैदराबाद	20	200	4000	40000	49000	490000	40000	50000	40000	10000	8000	80000	5000	80000	40000	70000	50000	200000	14000	1270000	3950000
2		बैंगलूरु	20	200	4000	40000	49000	490000	40000	50000	40000	10000	8000	80000	5000	80000	40000	70000	50000	200000	14000	1270000	
3		चेन्नई	20	200	4000	40000	49000	630000	40000	50000	40000	10000	8000	80000	5000	80000	40000	70000	50000	200000	14000	1410000	
4	अलीपुर	जयपुर	20	200	4000	40000	49000	490000	40000	50000	40000	10000	8000	80000	5000	80000	40000	70000	50000	200000	14000	1270000	5360000
5		दिल्ली	20	200	4000	40000	49000	630000	40000	50000	40000	10000	8000	80000	5000	80000	40000	70000	50000	200000	14000	1410000	
6		जम्मू	20	200	4000	40000	49000	630000	40000	50000	40000	10000	8000	80000	5000	80000	40000	70000	50000	200000	14000	1410000	
7		पंचकुला	20	200	4000	40000	49000	490000	40000	50000	40000	10000	8000	80000	5000	80000	40000	70000	50000	200000	14000	1270000	
8	गांधी नगर	सुरत	20	200	4000	40000	49000	490000	40000	50000	40000	10000	8000	80000	5000	80000	40000	70000	50000	200000	14000	1270000	2540000
9		मुंबई	20	200	4000	40000	49000	490000	40000	50000	40000	10000	8000	80000	5000	80000	40000	70000	50000	200000	14000	1270000	
10	लखनऊ	लखनऊ	20	200	4000	40000	49000	490000	40000	50000	40000	10000	8000	80000	5000	80000	40000	70000	50000	200000	14000	1270000	1270000
	कुल		200	2000	40000	400000	490000	5320000	400000	500000	400000	100000	80000	800000	50000	800000	400000	700000	500000	2000000	140000	13120000	13120000

10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट निम्नलिखित तरीके से आनी चाहिए (3 प्रतियाँ में)।

10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम (टीवाईपी) की रिपोर्ट की सामग्री में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:-


1. फ्रंट एवं बैक कवर पेज (नमूना संलग्न)
2. जहां आदिवासी युवा ने 10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में भाग लिया हो वहां उस क्षेत्र के स्थानीय आदिवासी युवा आइकन/नायक का उनकी फोटो के साथ फ्रंट और बैक पेज के इनर कवर में एक संक्षिप्त विवरण लिखें।
3. युवाओं पर माननीय प्रधानमंत्री के उद्धरण
4. राज्य में युवाओं की स्थिति
5. नेहरू युवा केंद्र संगठन की साख
6. पृष्ठभूमि और संदर्भ
7. लक्ष्य और उद्देश्य (10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार)
8. युवाओं की पृष्ठभूमि पर एक संक्षिप्त विवरण जिन्होंने 10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में भाग लिया है
9. कार्यान्वयन रणनीति
10. सामग्री जो किट में दी गई थी, जैसे आईईसी सामग्री, बुकलेट इत्यादि।
11. रिपोर्टिंग प्रोफॉर्मा (अनुलग्नक-10, 11 एवं 15) सहित कार्यक्रम और गतिविधियां का विवरण जोकि प्रासंगिक एक्शन फोटोग्राफ की अधिकतम संख्या द्वारा विधिवत रूप से समर्थित हों, उनमें निम्न शामिल होनी चाहिए:
 - आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम की व्याख्यान/प्रश्नोत्तरी सत्र एवं अन्य गतिविधियों (दिशानिर्देशों में उल्लिखित मूल मुद्दे) के दौरान ली गई तस्वीरें।
 - राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान, उद्योग, ऐतिहासिक स्थानों आदि के भ्रमण की 3 तस्वीरें
 - वीआईपी के साथ बातचीत (कार्यक्रम में उपस्थित वीआईपी, संसाधन व्यक्तियों और गणमान्य व्यक्तियों के नाम को शामिल किया जाना चाहिए)।
 - नए कार्यक्रमों और गतिविधियों का विवरण।
 - आयोजित बाहरी गतिविधियों का विवरण।
 - भाग लेने वाले राज्यों की संस्कृति, भाषा शिक्षण, फूड फेस्टिवल, पारंपरिक वेशभूषा और जीवनशैली पहलुओं पर कार्यक्रम और गतिविधियों का विवरण।
 - फीडबैक और मूल्यांकन सत्र

- खेलकूल, योग, सांस्कृतिक कार्यक्रम,,कॉस्टयूम परेड,,श्रमदान, युवाओं के फीडबैक, भोजन, आवासीय व्यवस्था, समूह चर्चा, वीआईपी से बातचीत, उद्घाटन और समापन समारोह, निबंध संगोष्ठी, कैरियर मार्गदर्शन, प्रदर्शनी आदि के दौरान ली गई तस्वीरें।

10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में आयोजित प्रत्येक गतिविधि पर लेख	उन गतिविधियों की तस्वीरें दी जानी चाहिए
10वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में आयोजित अन्य गतिविधि पर लेख	उन गतिविधियों की तस्वीरें दी जानी चाहिए

12. वित्तीय अनुमान (लेखा परीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करें)
13. अनुलग्नक-13(a) एवं 13(b) तक प्रतिभागियों के फीडबैक
14. परिणाम और निष्कर्ष
15. रिपोर्ट को इन्विटेशन कार्ड के सैंपल, प्रेस क्लिपिंग्स और ऑडियो वीडियो सीडी द्वारा विधिवत रूप से समर्थित होना चाहिए।
16. वीआईपी व्यक्तियों, राज्य/जिला स्तरीय अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की सूची, जो कार्यक्रम में उपस्थित हुए।
17. प्रेस क्लिपिंग्स का समुचित चित्र

कवर पेज



10th Tribal Youth Exchange Programme



Nehru Yuva Kendra Sangathan

नेहरू युव केन्द्र संगठन

साथ साथ
कल की ओर..



Sample Cover Page

2017-18

Organized By

Nehru Yuva Kendra Sangathan

(Ministry of Youth Affairs and Sports, Govt. of India)

In collaboration with Ministry of Home Affairs, Govt. of India


Name of Venue..... State.....



Arise, awake, and stop not till the goal is reached

-Swami Vivekananda

बैक पेज



10वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम



Nehru Yuva Kendra Sangathan

नेहरू युवा केन्द्र संगठन

साथ साथ
कदम घुमी उठो...

Sample Back Page

2017-18

आयोजक:

नेहरू युवा केन्द्र संगठन

(युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार)

सहयोग: गृह मंत्रालय, भारत सरकार

आयोजन स्थल..... राज्य



"उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक अपना लक्ष्य न हासिल कर लो"

प्रधानमंत्री विवेकानंद